संविदा की सामान्य शर्तें – परामर्श

गेल (इंडिया) लिमिटेड

विषय सूची तालिका

क्रम संख्या	**विवरण**
आरएफक्यू	दर (कोटेशन) के लिए अनुरोध
भाग-1	कट-आउट स्लिप
भाग-2	बोलीदाताओं के लिए अनुदेश
भाग-3	संविदा की सामान्य शर्तें
भाग-4	कार्य क्षेत्र और प्रदेय
भाग-5	मूल्य सूची
भाग-6	

अनुलग्नक

क- बोली प्रपत्र

ख- संविदा करार प्रपत्र

ग- निष्पादन प्रतिभूति का प्रपत्र (संविदा निष्पादन बैंक गारंटी)

घ- सहमत शर्तें एवं निबंधन

ङ- बोली खोलने और करार पर हस्ताक्षर करने के लिए उपस्थिति होने हेतु प्राधिकार पत्र का प्रपत्र

च- अनुभव का ब्यौरा

छ- दावात्याग

डिस्क्लेमर: अंग्रेजी और उसके हिंदी अनुवाद में किसी भी विसंगति के मामले में, व्याख्या और कानूनी पहलुओं के लिए, अंग्रेजी संस्करण मान्य होगा।

Disclaimer: In case of any discrepancy in English & its Hindi translation, for interpretation and legal aspects, the English version shall prevail.

भाग – 2

बोलीदाताओं के लिए अनुदेश (आईटीबी)

डिस्क्लेमर: अंग्रेजी और उसके हिंदी अनुवाद में किसी भी विसंगति के मामले में, व्याख्या और कानूनी पहलुओं के लिए, अंग्रेजी संस्करण मान्य होगा।
Disclaimer: In case of any discrepancy in English & its Hindi translation, for interpretation and legal aspects, the English version shall prevail.

अनुक्रमणिका

अनुच्छेद **शीर्षक**

अनुच्छेद	शीर्षक
1.	बोली प्रक्रिया की लागत
2.	बोली दस्तावेज
3.	बोली दस्तावेजों का स्पष्टीकरण
4.	बोली दस्तावेजों का संशोधन
5.	बोली की भाषा
6.	बोली के साथ लगाए जाने वाले दस्तावेज
7.	बोली प्रपत्र
8.	बोली मूल्य
9.	बोली की मुद्राएं
10.	बोलियों की वैद्यता की अवधि
11.	बोली का प्रपत्र तथा हस्ताक्षर करना
12.	बोली तैयार करना तथा प्रस्तुत करना
13.	बोली की देय तारीख
14.	देर से मिलने वाली बोलियो
15.	बोलियों में संशोधन करना और वापिस लेना
16.	गेल द्वारा बोली खोलना
17.	बोलियों का मूल्यांकन
18.	मूल्य वाली बोली खोलना
19.	बोलियों की तुलना करना
20.	गेल से संपर्क करना
21.	संविदा देने संबंधी प्रक्रिया
22.	किसी भी बोली को स्वीकार करने तथा किसी अथवा सभी बोलियों को अस्वीकार करने हेतु गेल का अधिकार
23.	संविदा देने संबंधी सूचना देना
24.	आदेश की स्वीकार्यता
25.	आयकर देयता
26.	करार
27.	बीजक और भुगतान
28.	गेल के बैंक

1.0 अनुच्छेद-1: बोली की प्रक्रिया की लागत

1.1 बोलीदाता बोली तैयार करने तथा इसे प्रस्तुत करने से संबंधित सभी लागतों का वहन करेगा और किसी भी स्थिति में गेल लागतों के लिए उत्तरदायी नहीं होगा चाहे बोली प्रक्रिया का परणिाम कुछ भी हो अथवा बोली प्रक्रिया आयोजित न हो।

2.0 अनुच्छेद-2 : बोली दस्तावेज

2.1 बोलीदाता से यह अपेक्षा की जाती है कि वह बोली दस्तावेज में दिए गए सभी अनुदेशों, प्रपत्रों, शर्तों एवं निबंधन की जांच कर लें। बोलियों और इसे संबंधित सभी कागजातों के आमंत्रण से यह माना जाएगा कि बोलीदाता ने उन्हें पढ, समझ और स्वीकार कर लिया है। निविदा दस्तावेजों द्वारा अपेक्षित सभी सूचना प्रस्तुत करने अथवा पूरी तरह बोली दस्तावेज के अनुरूप बोली प्रस्तुत करने में विफल रहने का जोखिम बोलीदाता का होगा और इसके परिणामस्वरूप उसकी बोली निरस्त की जा सकती है। बोलीदाता को गेल द्वारा जारी पूरी तरह से भरा हुआ मूल संविदा दस्तावेज और सहमत शर्तों एवं निबंधनों **(अनुलग्नक-घ के अनुसार)** को संभाल कर रखना चाहिए। बोली दस्तावेजों में अपेक्षित सेवाएं, बोली प्रक्रिया और संविदा संबंधी शर्तें, निर्धारित है।

3.0 अनुच्छेद-3 : बोली दस्तावेजों का स्पष्टीकरण

3.1 निविदा दस्तावेज के संबंध में किसी भी तरह के स्पष्टीकरण की अपेक्षा रखने वाला संभावित बोलीदाता लिखित में अथवा फैक्स पर अथवा गेल के मेल एड्रेस के केबल पर गेल को इसकी सूचना देगा जिसका बोली संबंधी आमंत्रण में उल्लेख होगा। गेल बोलियों को प्रस्तुत करने के लिए गेल द्वारा निर्धारित अंतिम समय सीमा से पहले 10 दिनों के भीतर गेल को प्राप्त निविदा दस्तावेज के स्पष्टीकरण के संबंध में किसी भी अनुरोध का लिखित में उत्तर देगा। गेल द्वारा दिए गए उत्तर की प्रतियां निविदा दस्तावेज मिलने वाली सभी संभावित बोलीदाताओं को भेजी जाएगी (प्रश्न के स्पष्टीकरण सहित, पंरतु प्रश्न के स्रोत का पहचान बताए बगैर)।

4.0 अनुच्छेद-4 : बोली दस्तावेजों का संशोधन

4.1 बोली की देय तिथि से पहले किसी भी समय गेल स्वयं अपनी ओर से अथवा किसी भी संभावित बोलोदाता द्वारा अनुरोध किए गए स्पष्टीकरण के उत्तर में किसी भी कारणवश निविदा दस्तावेजों में संशोधन कर सकता है।

4.2 निविदा दस्तावेज प्राप्त करने वाले संभावित सभी बोलीदाताओं को लिखित में अथवा फैक्स द्वारा अथवा केबल द्वारा संशोधन की सूचना दी जाएगी तथा यह उन पर बाध्यकारी होगी।

4.3 संभावित बोलीदाताओं को अपनी बोलियों को संशोधन के अनुरूप तैयार करने हेतु पर्याप्त समय देने के लिए गेल अपने विवेक के अनुसार बोली की देय तिथि को आगे बढ़ा सकता है।

5.0 अनुच्छेद-5 : बोली की भाषा

5.1 बोलीदाता द्वारा तैयार की गई निविदा और बोलीदाता तथा गेल द्वारा आदान-प्रदान किए गए निविदा से संबंधित दस्तावेज और ड्राइंग/सारा पत्राचार अंग्रेजी भाषा में लिखित में होगा बशर्ते कि बोलीदाता द्वारा प्रस्तुत कोई भी मुद्रित सामग्री किसी अन्य भाषा में अंग्रेजी अनुवाद के साथ लिखित में दी जा सकती है, जिसके संबंध में निविदा के निर्वचन के प्रयोजनार्थ अंग्रेजी अनुवाद अभिभावी होगा। मीट्रिक मापन प्रणाली लागू होगी।

6.0 अनुच्छेद-6 : बोली के साथ लगाए जाने वाले दस्तावेज :

6.1 बोलीदाता द्वारा तैयार की गई बोली के गैर-मूल्य वाले भाग के निम्नलिखित घटक होंगे:-

(क) अनुच्छेद 7, 8 एवं 9 के अनुसार भरा गया बोली प्रपत्र और मूल्य सूची।

(ख) अनुच्छेद 26 के अनुसार बोली के मूल्यरहित भाग के साथ प्रस्तुत किया जाने वाला करार।

(ग) विधिवत भरे हुए सहमत शर्तें एवं निबंधन।

डिस्क्लेमर: अंग्रेजी और उसके हिंदी अनुवाद में किसी भी विसंगति के मामले में, व्याख्या और कानूनी पहलुओं के लिए, अंग्रेजी संस्करण मान्य होगा।
Disclaimer: In case of any discrepancy in English & its Hindi translation, for interpretation and legal aspects, the English version shall prevail.

(घ) अनुलग्नक च के अनुसार विगत तीन वर्षों के दौरान ऐसी ही प्रकृति के निष्पादित कार्य के संबंध में अनुभव का ब्यौरा।

(ड.) निविदा दस्तावेज के अनुसार अपेक्षित अन्य कोई सूचना/ ब्यौरा।

(च) नवीनतम वैध कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) पंजीकरण प्रमाण पत्र (घरेलू बोलीदाताओं के लिए लागू)।

(छ) बोली पर हस्ताक्षर करने वाले के पक्ष में पावर ऑफ अटार्नी।

7.0 अनुच्छेद-7 : बोली प्रपत्र

7.1 बोलीदाता बोली दस्तावेज में दिए गए बोली प्रपत्र तथा उचित मूल्य सूची को पूरी तरह से भरेगा और कार्य क्षेत्र, सेवाओं एवं मूल्यों का संक्षिप्त ब्यौरा देगा।

8.0 अनुछेद-8 : बोली मूल्य

8.1 बोलीदाता इस बोली दस्तावेज के साथ संलग्न मूल्य सूची में मूल्यों का उल्लेख करेगा।

8.2 बोलीदाता द्वारा विहित मूल्य सूची में प्रत्येक कार्यमद के लिए अलग-अलग मूल्यों का उल्लेख किया जाएगा और यह मूल्य सूची के प्रपत्र के अनुपालन में होगा।

8.3 दिए गए मूल्यों में कार्य को पूरा करने हेतु शुल्क, सभी प्रकार के कर, शुल्क, उपकर, लाइसेंस शुल्क, सेवाकर तथा सर्वेक्षण आदि हेतु तृतीय पक्षकार को देय प्रभारों हेतु भुगतान हेतु शामिल होंगे। तथापि, सांविधिक करों और शुल्कों की लागू दरों का अलग-अलग उल्लेख किया जाएगा।

8.4 सभी चरणों पर सभी प्रकार के कार्य/सेवाओं का निरीक्षण/प्रमाणन गेल द्वारा ऐसी इच्छा जाहिर करने पर स्वयं गेल द्वारा अथवा अन्य किसी भी तृतीय एजेंसी द्वारा किया जाएगा जिसके लिए बोलीदाता को किसी भी अतिरिक्ति प्रभार का भुगतान नहीं किया जाएगा क्योंकि गेल के निरीक्षकों के सभी कार्मिक तथा आकस्मिक व्ययों का वहन गेल द्वारा किया जाएगा।

8.5 यदि सशर्त छूट दी जाएगी तो इस पर मूल्यांकन हेतु विचार नहीं किया जाएगा। उपर्युक्तानुसार मूल्य घटक का बोलीदाता द्वारा पृथक्करण केवल गेल द्वारा बोलियों की तुलना में सुविधा प्रदान करने के प्रयोजनार्थ ही किया जाएगा और इससे किसी भी तरह मूल्य के आधार/प्रदत्त शर्तों के आधार पर संविदा करने हेतु गेल का अधिकार सीमित नहीं होगा।

8.6 कार्य को पूरा करने हेतु आवश्यक माने जाने वाली किसी भी अन्य सेवा/मद की लागत को एकमुश्त मूल्यों में शामिल करना मान लिया गया है।

8.7 नियत मूल्य

8.7.1 बोलीदाता द्वारा दिए गए मूल्य बोलीदाता की संविदा के निष्पादन के दौरान नियत एवं निश्चित होंगें। **समायोजन मूल्य उद्धरण के साथ प्रस्तुत किसी भी बोली को गैर-क्रियात्मक माना जाएगा और इसे निरस्त कर दिया जाएगा।**

8.7.2 संविदा पूरा करने की अवधि के दौरान करों (जीएसटी, एलएसटी, डब्ल्यूसीटी, विदहोल्डिंग कर, सेवा कर आदि) तथा किसी भी शुल्क में सांविधिक परिवर्तन का वहन गेल द्वारा किया जाएगा। सांविधिक करों तथा शुल्कों के अलावा अन्य करों व शुल्कों अथवा करारोपण में किसी भी परिवर्तन हेतु भुगतान नहीं किया जाएगा।

8.7.3 पक्षकार शब्दों और अंकों, दोनों में आंकड़े लिखेंगे। भिन्नता पाए जाने पर शब्दों में लिखित मूल्य वैध और बाध्यकारी होगी।

8.7.4 बोलीदाता कार्य दस्तावेज में यथोलिखित सेवाएं प्रदान करने हेतु लागू सभी प्रकार के करों तथा शुल्कों को सुनिश्चित करने के लिए स्वयं उत्तरदायी होगा। गेल संविदा के अंतर्गत बोलीदाता द्वारा देय भुगतान पर लागू भारतीय आय कर की कटौती करेगा।

8.7.5 दिए गए मूल्यों में कोई भी सर्वेक्षण करने, भारत में यात्रा करने, कर्मिकों द्वारा इसकी साइटों का दौरा करने, भारत में ठहरने, रूकने, आकस्मिक व्यय आदि करने के लिए कार्य क्षेत्र हेतु अपेक्षित सभी लागतें भी शामिल होगी।

9.0 अनुच्छेद-9 : बोली की मुद्राएं

9.1 मूल्यों के सभी विदेशी घटकों का उद्दरण यूएस डालर तथा केवल बोलीदाता के देश की मुद्रा में किया जाएगा। विदेशी घटक का सारा भुगतान यूएस डॉलर तथा केवल बोलीदाता के देश की मुद्रा में किया जाएगा। एक बार उद्धृत मुद्रा में परिवर्तन करना अनुमत्य नहीं है।

9.2 इस संविदा के संबंध में भारत में किए जाने वाले व्यय का उद्धरण दिया जाएगा तथा यह केवल भारतीय रूपए में ही संदेय होगा।

10.0 अनुच्छेद- 10: बोलियों की वैधता की अवधि

10.1 बोली की अंतिम देय तारीख से बोलियां 4 माह तक वैध रहेंगी। कम अवधि तक वैद्य किसी भी बोली को गेल द्वारा गैर-क्रियात्मक के रूप में निरस्त कर दिया जाएगा।

बोलीदाता 4 माह की उपर्युक्त अवधि के दौरान अपनी बोली का प्रतिसंहरण करने अथवा निरस्त करने तथा दी गई बोली अथवा उसकी समयावधि में परिवर्तन करने हेतु पात्र नहीं होगा।

10.2 उपर्युक्त खंड 10.1 होने के बावजूद, गेल बोली की वैधता की अवधि में विस्तार हेतु बोलीदाता की स्वीकृति मांग सकता है। तत्संबंधी अनुरोध और उत्तर लिखित में अथवा फैक्स द्वारा अथवा ई-मेल द्वारा दिया जाएगा।

11.0 अनुच्छेद-11 : बोली का प्रपत्र तथा इस पर हस्ताक्षर करना

11.1 बोलीदाता बोली की प्रतियों की अपेक्षित संख्या तैयार करेगा, जिस पर स्पष्टतापूर्वक “मूल बोली” यथोचित “बोली की प्रति” लिखा होगा। उनमें किसी भी प्रकार की विभिन्नता पाए जाने पर मूल प्रति अभिभावी होगी।

11.2 बोली की मूल तथा सभी प्रतियां टंकित होंगी अथवा खराब न होने वाली स्याही से लिखी होंगी तथा इस पर बोलीदाता अथवा संविदा के लिए बोलीदाता द्वारा विधिवत प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे। हस्ताक्षर करने वाले प्रत्येक व्यक्ति का नाम तथा पदनाम हस्ताक्षर के नीचे टंकित अथवा मुद्रित होना चाहिए। असंशोधित मुद्रित सामग्री को छोड़कर बोली के प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षरकर्त्ता व्यक्ति अथवा व्यक्तियों द्वारा आद्याक्षर किए जाएंगे।

11.3 पूरी बोली किसी भी परिवर्तन, कांट-छांट रहित होगी, सिवाय बोलीदाता द्वारा जरूरी समझे जाने वाली श्रुटियों को सही करने के, और इन संशोधनों पर बोली पर हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति अथवा व्यक्तियों द्वारा आद्याक्षर किए जाएंगे।

12.0 अनुच्छेद-12 : बोलियां तैयार करना व प्रस्तुत करना

12.1 बोलीदाता को एक निविदा दस्तावेज का एक सेट दिया जाएगा, जिसमें निविदा दस्तावेज की दो प्रतियां होंगी जिन पर “मूल” और “बोलीदाता की प्रति” लिखा होगा। उपर्युक्त दस्तावेजों के एक सेट पर “बोलीदाता की प्रति” लिखा होगा और इसे संदर्भ हेतु बोलीदाता द्वारा रखा जाएगा तथा निविदा दस्तावेज के दूसरे सेट पर “मूल”

लिखा होगा, और इसे निविदा के साथ विधिवत हस्ताक्षर करके तथा मुहर लगाकर प्रस्तुत किया जाएगा। निविदा दस्तावेज में उल्लिखित दस्तावेज बोलीदाताओं द्वारा निविदा के साथ जमा करवाए जाएंगें।

12.2 यदि इस दस्तावेज में कोई शुद्धि पत्र जारी किया जाता है तो इस पर हस्ताक्षर किए जाएंगे और इसे निविदा दस्तावेज के साथ प्रस्तुत किया जाएगा।

12.3 बोलीदाताओं को सलाह दी जाती है कि वे बोली दस्तावेजों में निहित शर्तों और निबंधनों तथा विनिर्देशनों के अनुसार ही अपनी कोटेशन जमा करवांए तथा इसमें बदलाव की मांग न करें।

12.4 प्रत्येक बोलीदाता केवल एक ही निविदा जमा करवाएगा। एक से ज्यादा निविदा जमा करवाने वाले बोलीदाता की निविदा निरस्त कर दी जाएगी। वैकल्पिक निविदाएं स्वीकार नहीं की जाएंगी।

12.5 निविदाएं निम्नलिखित तरीके से जमा करवाई जाएंगी जो अलग से एक लिफाफे(फों) में सील बंद होंगी तथा जिन पर विधिवत बड़े-बड़े अक्षरों में निम्नानुसार लिखा होगा;

भाग-क : तकनीकी वाणिज्यिक/गैर-मूल्य वाली बोली

भाग-ख : मूल्य वाली बोली

12.5.1 <u>भाग क: तकनीकी वाणिज्यिक/गैर-मूल्य रहित बोली</u>

12.5.1.1 **भाग-क : गैर मूल्य वाली निविदा** के साथ रिक्त छोडे गए मूल्य वाले भाग-ख के समान बोली प्रपत्र और मूल्य सूची सहित सभी तकनीकी एवं वाणिज्यिक ब्यौरे के साथ पूरी तरह से भरी गई गैर-मूल्य वाली बोली की एक मूल और एक छायाप्रति लगी होगी। गैर-मूल्य वाली बोली की मूल तथा संलग्नकों सहित छायाप्रति पूरी तरह से एक जैसी होंगी और इसे अलग से एक सीलबंद लिफाफे में रखा जाएगा जिस पर स्पष्ट शब्दों में निविदा दस्तावेज संख्या, मद संबंधी ब्यौरा, बोली की देय तारीख और समय आदि एवं "गैर मूल्य वाली निविदा- कृपया खोलें नहीं" लिखा होगा। लिफाफे पर बोलीदाता का नाम और पता भी लिखा जाएगा।

यह "तकनीकी वाणिज्यिक निविदा" है। परियोजना के सभी तकनीकी ब्यौरे इस प्रस्ताव के भाग में दिए जाएंगें। प्रस्तुत ब्यौरे में निम्नलिखित शामिल होगा परंतु यह केवल इन तक ही सीमित नहीं होगा:

1. बोलीदाता की प्रोफाइल
2. अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के लए मुख्तारनामा (पॉवर आफ अटार्नी)
3. कार्य की सूची तथा स्टाफ एवं कार्यकलापों का चरणबद्ध ब्यौरा, समय-सीमा तथा उपलब्धियों एवं विस्तृत बार-चाट्‌र्स तथा मापनीय उपलब्धियों का ब्यौरा।
4. वाणिज्यिक शर्तें एवं निबंधन
5. भारत और अंतर्राष्ट्रीय रूप से बोलीदाता की अवसंरचना का ब्यौरा
6. भारत में स्थानीय सहायक कार्यालय, यदि कोई हो, का ब्यौरा
7. अनुलग्नक-च में प्रपत्र के अनुसार अनुभव का सार।
8. परामर्श किए जाने वाले संसाधनों की प्रोफाइल, जिनके साथ परामर्शदाता द्वारा गेल की परियोजना करने की योजना है, गेल को उपलब्ध करवायी जाएगी।
9. गेल के निविदा दस्तावेज की मुहरबंद तथा हस्ताक्षरित प्रति
10. यह घोषणा पत्र कि बोलीदाता को प्रतिबंधित/काली सूची में नहीं डाला गया है।
11. बोलीदाता के प्रमाण पत्र
12. गेल के बोलीदाता/परामर्शदाता की उपयुक्तता को प्रमाणित करने हेतु यथापेक्षित अन्य कोई दस्तावेज।

12.5.2 भाग- मूल्य वाली बोली

12.5.2.1 भाग ख: मूल्य वाली निविदा को मूल्य के पूरे विवरण के साथ दो प्रतियों में जमा करवाया जाएगा जो एक अलग लिफाफे में सीलबंद होंगी तथा जिन पर साफ शब्दों में निविदा दस्तावेज संख्या, मद विवरण, निविदि की देय तारीख और समय आदि तथा "मूल्य वाली निविदा - कृपया खोलें नहीं" लिखा होगा।

मूल्य वाली निविदा में निविदा दस्तावेज में दी गई दर अनुसूची में दिए गए प्रपत्र के अनुसार विधिवत भरे हुए मूल्य ही शामिल होंगे। मूल्य निर्माण में वाणिज्यिक और/अथवा तकनीकी विनिर्देशन तथा भाग-(क) गैर मूल्यवाली निविदा में पहले से ही प्रस्तुत कोई अन्य दस्तावेज नहीं होना चाहिए।

12.6 निविदाओं को सील करना और चिन्हित करना

12.6.1(क) भीतरी और बाहरी लिफाफे गेल को निम्नलिखित पते पर भेजे जाएंगे :

गेल (इंडिया) लिमिटेड

भारत

(ख) कृपया लिफाफे पर "गेल (इंडिया) लिमिटेड ____________" के लिए निविदाएं आमंत्रित करना, निवदि दस्तावेज संख्या अैर "कृपया दिनांक को बजे से पहले न खोलें" लिखें।

(ग) उपर्युक्त उप-खंड (क) और (ख) में अपेक्षित सूचना के अलावा भीतरी लिफाफों पर बोलीदाता का नाम और पता भी लिखा जाएगा।

12.7. यदि अन्य लिफाफे को पैरा 12.6 के यथोपेक्षित सील नहीं किया जाता है और चिह्नित नहीं किया जाता है तो गेल निविदा गुम होने तथा इसे पूर्व निर्धारित तारीख से पहले खोलने के संबंध में गेल की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

13.0 अनुच्छेद -13: निविदा की देय तारीख

13.1 निविदाएं निविदा दस्तावेज में विनिर्दिष्ट तारीख और समय तक निविदा संबंधी आमंत्रण में विनिर्दिष्ट पते पर अवश्य ही मिल जानी चाहिए।

13.2 बोली दस्तावेज जारी कर दिए जाने वाले सभी संभावित बोलीदाताओं को गेल अपने विवेकानुसार फैक्स, टेलेक्स अथवा केबल या अन्य किसी भी लिखित संप्रेषण द्वारा उचित नोटिस देकर बोली की देय तारीख बढ़ा सकता है, और इस स्थिति में गेल और बोलीदाताओं के पूर्व में बोली की देय तारीख के अध्यधीन सभी अधिकार और देयताएं यथाविस्तारित नई निविदा की देय तारीख के अध्यधीन होंगी।

14.0 अनुच्छेद-14 विलंब से प्राप्त बोलियां

14.1 बोली की देय तारीख तथा बोली आमंत्रण में विहित समय के उपरांत गेल को प्राप्त होने वाली किसी भी बोली को निरस्त कर दिया जाएगा।

14.2 प्रत्यक्ष अथवा भारत में स्थानीय एजेंट द्वारा प्रस्तुत टेलीग्राफिक/फैक्स/ई-मेल प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जाएगा तथा इन्हें निरस्त कर दिया जाएगा।

15.0 अनुच्छेद : बोली में संशोधन करना और वापिस लेना

15.1 बोलीदाता बोली प्रस्तुत करने के उपरांत अपनी बोली में संशोधन कर सकता है अथवा इसे वापिस ले सकता है बशर्तें कि संशोधन/वापिस लेना संबंधी नोटिस गेल को बोली की देय तारीख और समय से पूर्व मिल जाए।

डिस्क्लेमर: अंग्रेजी और उसके हिंदी अनुवाद में किसी भी विसंगति के मामले में, व्याख्या और कानूनी पहलुओं के लिए, अंग्रेजी संस्करण मान्य होगा।
Disclaimer: In case of any discrepancy in English & its Hindi translation, for interpretation and legal aspects, the English version shall prevail.

बोलीदाता का संशोधन अथवा वापिस लेने संबंधी नोटिस अनुच्छेद 12.6 के प्रावधानों के अनुसार तैयार, मुहरबंद, चिह्नित और प्रेषित किया जाएगा। वापिस लेने संबंधी नोटिस को ई-मेल अथवा टेली फैक्स द्वारा भी भेजा जाएगा परंतु इसके साथ एक हस्ताक्षरित पुष्टिकारक प्रति अवश्य लगी होनी चाहिए जिस पर बोली प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख के बाद ही तारीख नहीं होनी चाहिए।

15.2 अनुच्छेद 17.4 के अध्यधीन कोई भी बोली बोली प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख के उपंरात संशोधित नहीं जाएगी।

15.3 बोली प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख तथा बोली प्रपत्र पर बोलीकर्त्ता द्वारा विनिर्दिष्ट बोली वैद्यता की अवधि की मियाद समाप्त होने के बीच की अवधि में किसी भी बोली को वापिस लेने हेतु अनुमति नहीं दी जाएगी।

16.0 अनुच्छेद-16: गेल द्वारा बोलियां खोलना

16.1 निविदाओं को बोलीदाताओं, प्रतिनिधियों (सक्षम व्यक्ति द्वारा विधिवत प्राधिकृत और प्रपत्र के अनुसार प्राधिकार पत्र धारक) की उपस्थिति में गेल, ___________________ (पता) के उनके कार्यालय में गेल द्वारा खोला जाएगा, जो बोली आमंत्रण (आईएफबी) में यथोल्लिखित 10 तारीख, समय और स्थान पर उपस्थित होने का चयन करते हैं। बोलीदाता के प्रतिनिधि, जो उपस्थित हैं, अपनी उपस्थिति के साक्ष्यस्वरूप रजिस्टर पर हस्ताक्षर करेंगे।

16.2 बोलीदाता (ओं) के नाम, संशोधन, वापिस लेने संबंधी नोटिस तथा गेल के विवेकानुसार उचित समझे जाने वाले ऐसे अन्य ब्यौरे की बोली खोलते समय घोषणा की जाएगी तथा गैर मूल्य वाली बोलियां खोलते समय इन्हें रिकार्ड किया जाएगा।

16.3 बोलीदाता का नाम, बोलियों के मूल्य, सभी दिए गए डिस्काउंट, संशोधन तथा निविदा वापिस लेने संबंधी नोटिस और गेल द्वारा अपने विवेकानुसार उचित समझे जाने वाले अन्य ब्यौरे को तकनीकी रूप से तथा वाणिज्यिक रूप से स्वीकार्य बोलीदाताओं की मूल्य वाली बोलियों को खोलते समय पढ़ा जाएगा।

17.0 अनुच्छेद-17: बोलियों का मूल्यांकन

17.1 गेल यह निर्धारित करने के लिए बोलियों का मूल्यांकन करेगा कि क्या वे पूरी हैं, क्या गणना संबंधी कोई त्रुटि हो गई है, क्या दस्तावेज भली भांति हस्ताक्षरित हैं तथा क्या निविदाएं सामान्यत: क्रमानुसार व्यवस्थित हैं।

17.2 एक बार दर उद्धृत करने के उपरांत बोलीकर्ता बाद में मूल्य में कोई भी परिवर्तन नहीं करेगा चाहे ये कार्य क्षेत्र के भीतर बोली के संबंध में अपेक्षित किसी भी तकनीकी/ वाणिज्यिक स्पष्टीकरण के परणिामस्वरूप हो अथवा इन की वजह से हो, चाहे बोली में कोई भी परिवर्तन अथवा अपवर्जन विशेष रूप से विनिर्दिष्ट हो। मूल्य में ऐसे परिवर्तन के कारण बोली को निरस्त कर दिया जाएगा। स्पष्टीकरण हेतु अनुरोध के लिए सभी उत्तरलिखित में होंगें।

17.3 बोली के संबंध में अनापेक्षित स्पष्टीकरण तथा/अथवा वैद्यता अवधि के दौरान मूल्य में परिवर्तन करने से बोली को सीधे-सीधे निरस्त कर दिया जाएगा।

17.4 बोलियों का तकनीकी-वाणिज्यिक मूल्यांकन

17.4.1 बोलियों का मूल्यांकन निविदा के साथ दिए गए बोली मूल्यांकन मानदंड के अनुसार किया जाएगा। मूल्यांकन मानदंड पूरे करने वाले और अनुक्रियात्मक पाई गई बोलियों वाले बोलीकर्त्ताओं की मूल्य संबंधी बोली ही खोली जाएंगी।

डिस्क्लेमर: अंग्रेजी और उसके हिंदी अनुवाद में किसी भी विसंगति के मामले में, व्याख्या और कानूनी पहलुओं के लिए, अंग्रेजी संस्करण मान्य होगा।
Disclaimer: In case of any discrepancy in English & its Hindi translation, for interpretation and legal aspects, the English version shall prevail.

17.4.2 बोलियों को यथाप्राप्त मूल्यांकित किया जाएगा और बोलीकर्त्ताओं से कोई प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। जांच में सहायता प्रदान करने के लिए यदि पूर्णतया जरूरी होगा तो बोलियों का मूल्यांकन और तुलना की जाएगी। गेल अपने विवेकानुसार बोलीकर्त्ता से उसकी बोली के लिए स्पष्टीकरण मांग सकता है। ऐसे स्पष्टीकरण के लिए अनुरोध और उत्तर लिखित में होगा और बोलियों के मूल्य अथवा तत्वों में कोई भी परिवर्तन अपेक्षित, पेश अथवा अनुमत्य नहीं होगा।

17.4.3 अनुच्छेद-19 के अनुसरण में बोलियों के मूल्यांकन और तुलना से पहले गेल निविदा दस्तावेज की प्रत्येक बोली की पर्याप्त अनुक्रियात्मकता का निर्धारण करेगा। इस अनुच्छेद के प्रयोजनार्थ एक पर्याप्त अनुक्रियात्मक बोली वह है जो निविदा दस्तावेज की सभी शर्तों और निबंधनों की किसी भी तथ्यात्मक परिवर्तन अथवा आरक्षण के बगैर पूर्ति करे। गेल द्वारा किसी भी बोली की अनुक्रियात्मकता का निर्धारण बाहरी साक्ष्य का सहारा लिए बगैर स्वयं बोली की विषय-वस्तु पर आधारित होना चाहिए।

17.4.4 पर्याप्त रूप से गैर-अनुक्रियात्मकता के रूप में निर्धारित बोली को गेल द्वारा निरस्त कर दिया जाएगा और बाद में इसके अनुपालन को बोलीकर्त्ता द्वारा सही करके इसे अनुक्रियात्मक बनाने के लिए गेल द्वारा अनुमति प्रदान नहीं की जाएगा।

17.4.5 यदि बोलीकर्त्ता द्वारा निविदा दस्तावेज के निम्नलिखित प्रावधानों में परिवर्तन किया जाता है तो बोलीकर्त्ता की बोली को गैर-अनुक्रियात्मक माना जाएगा तथा इसे निरस्त कर दिया जाएगा:-

(i) निष्पादन प्रतिभूति [संविदा निष्पादन बैंक गारंटी]

(ii) बोलीकर्त्ताओं को अनुदेश के अनुच्छेद-10 के अनुसार बोलियों की वैद्यता की अवधि।

(iii) संविदा की सामान्य शर्तों (जीसीसी) के अनुच्छेद 3.19 के अनुसार अप्रत्याशित घटना

(iv) जीसीसी के अनुच्छेद-39 के अनुसार विवाद का समाधान/माध्यस्थम

(v) नियत मूल्य

(vi) कार्य को संपूर्ण करने की अवधि।

(vii) जीसीसी के अनुच्छेद 3.16 के अनुसार संविदा का समापन।

(viii) जीसीसी के अनुच्छेद 3.12 के अनुसार मूल्य कटौती सूची

(ix) निविदा दस्तावेज में यथाविनिर्दिष्ट भुगतान संबंधी शर्तें

(x) बोलीकर्त्ता द्वारा अपेक्षित कोई भी अग्रिम

(xi) घरेलू बोलीकर्त्ता द्वारा ईपीएफ पंजीकरण, प्रमाण-पत्र को प्रस्तुत नहीं करना।

17.4.6 निविदा दस्तावेज में यथोलिखित तकनीकी विनिर्देशन/अपेक्षाओं के अनुरूप निविदाएं (कार्यक्षेत्र का संदर्भ) निरस्त कर दी जाएंगी।

17.4.7 सशर्त बोलियों को निरस्त कर दिया जाएगा।

18.0 अनुच्छेद-18: मूल्य बोलियों को खोलना

पर्याप्त रूप से अनुक्रियात्मक बोलियों की मूल्य बोली को जनता के बीच खोला जाएगा। बोलीदाताओं की पर्याप्त रूप से अनुक्रियात्मक निर्धारित न की जाने वाली मूल्य बोलियों को निरस्त कर दिया जाएगा।

19.0 अनुच्छेद-19: बोलियों की तुलना

19.1 गेल अनुच्छेद 17 के अनुसरण में पर्याप्त रूप से अनुक्रियात्मक के रूप में निर्धारित पूर्ववर्ती बोलियों का मूल्यांकन और तुलना करेगा।

19.2 अंकगणितीय त्रुटियों का सुधार निम्नलिखित आधार पर किया जाएगा:-

डिस्क्लेमर: अंग्रेजी और उसके हिंदी अनुवाद में किसी भी विसंगति के मामले में, व्याख्या और कानूनी पहलुओं के लिए, अंग्रेजी संस्करण मान्य होगा।
Disclaimer: In case of any discrepancy in English & its Hindi translation, for interpretation and legal aspects, the English version shall prevail.

यदि इकाई मूल्य और मात्रा को गुणा करके प्राप्त इकाई मूल्य तथा कुल मूल्य के बीच कोई विसंगति है तो ईकाई इकाई अभिभावी होगा और कुल मूल्य में सुधार किया जाएगा। यदि कुल धनराशि और कुल मूल्य के योग के बीच विसंगति है तो कुल मूल्यों का योग अभिभावी होगा तथा बोली की कुल धनराशि में सुधार किया जाएगा।

19.3 मूल्यांकन और तुलना को सुकर बनाने के लिए गेल यूएस डालर अथवा बोलीकर्त्ता की गृहमुद्रा में अभिव्यक्त बोली मूल्यों को बोलियों के मूल्य खोलने वाली तारीख से एक दिन पहले प्रचलित भारतीय स्टेट बैंक में घोषित विदेशी विनियम की बिल संग्रहण विक्रय बाजार दर पर भारतीय मुद्रा अर्थात भारतीय रूपए में परिवर्तित करेगा।

19.4 बोलीकर्ताओं के मूल्यांकन मूल्य में कुल मूल्य तथा सभी कर, शुल्क और इस संविदा के अंतर्गत यथा लागू कर शामिल होंगें।

19.5 प्रचलित सरकारी अनुदेशों के अनुसार केंद्र सरकार के लोक उघम से क्रय करने हेतु प्राथमिकता दी जाएगी।

19.6 बोलियों की तुलना सभी मदों को इकट्ठा करके गेल की समस्त न्यूनतम लागत के आधार पर की जाएगी।

20.0 अनुच्छेद 20- गेल से संपर्क स्थापित करना

20.1 अनुछेच्द 17.2, 17.3 और 17.4.2 के अध्यधीन कोई भी बोलीदाता बोली खोलने से लेकर संविदा देने के समय तक अपनी बोली के संबंध में किसी भी मामलें पर गेल से संपर्क नहीं करेगा।

20.2 गेल के बोली के मूल्यांकन, बोली की तुलना अथवा संविदा देने संबंधी निर्णय में गेल को प्रभावित करने के लिए किसी भी बोलीदाता द्वारा किए गए किसी भी प्रयास के परिणामस्वरूप बोलीदाता की बोली निरस्त कर दी जाएगी।

21.0 अनुच्छेद-21 संविदा देने संबंधी मानक

गेल उन सफल बोलीदाताओं को संविदा देगा जिनकी बोली न्यूनतम मूल्यांकित, अनुक्रियात्मक बोली के रूप में निर्धारित हुई है बशर्ते कि बोलीदाता संविदा को संतोषजनक ढंग से निष्पादित करने हेतु पात्र के रूप में निर्धारित हो।

22.0 अनुच्छेद-22: किसी भी बोली को स्वीकार करने तथा किसी भी अथवा सभी बोलियों को निरस्त करने हेतु गेल का अधिकार

22.1 गेल के पास किसी भी प्रभावित बोलीदाता अथवा बोलीदाताओं के प्रति कोई भी देयता रखे बगैर अथवा गेल की कार्रवाई के बारे में प्रभावित बोलीदाता अथवा बोलीदाताओं को सूचना देने की देयता के बगैर संविदा देने से पहले किसी भी समय किसी भी बोली को स्वीकार अथवा निरस्त करने तथा निविदा प्रक्रिया को रद्द करने और सभी बोलियों को निरस्त करने का अधिकार होगा।

22.2 सेवाओं हेतु संविदा देने में गेल के पास अधिकार है कि वह एक अथवा एक से ज्यादा बोलीकर्त्ताओं को मूल्यांकन के आधार पर संविदा दें।

23.0 अनुच्छेद-23: संविदा देने संबंधी सूचना देना

23.1 बोली की वैद्यता की अवधि खत्म होने से पहले गेल सफल बोलीदाता को लिखित में अथवा ई-मेल अथवा टेलेक्स के जरिए लिखित में इस बात की पुष्टि की सूचना देगा कि उसकी बोली स्वीकार कर ली गई है। संविदा देने संबंधी सूचना में रूचि संबंधी फैक्स जारी करने की साथ संविदा बनाना शामिल होगा।

23.2 संपूर्ण अवधि की गणना रूचि संबंधी फैक्स भजने की तारीख से होगी। संविदा देने की सूचना में संविदा को तैयार करना शामिल होगा, जब तक संविदा अनुच्छेद-29 के अनुसरण में प्रभावित नहीं हों।

डिस्क्लेमर: अंग्रेजी और उसके हिंदी अनुवाद में किसी भी विसंगति के मामले में, व्याख्या और कानूनी पहलुओं के लिए, अंग्रेजी संस्करण मान्य होगा।
Disclaimer: In case of any discrepancy in English & its Hindi translation, for interpretation and legal aspects, the English version shall prevail.

24.0 अनुच्छेद 24- आदेश की स्वीकार्यता

24.1 सफल बोलीदाता को यह सूचना देने, कि उसकी बोली स्वीकार कर ली गई है, के उपरांत गेल ऐसे बोलीदाता को स्वीकार्यता पत्र (एलओए) भेजेगा जिसमें पक्षकारों के बीच सम्मत शर्तें एवं निबंधन शामिल होंगें।

24.2 गेल सफल बोलीदाता को एलओए भेजेगा जो इसकी प्राप्ति के 7 दिनों के भीतर संविदा की स्वीकार्यता के संकेत में इस पर हस्ताक्षर करके इसे गेल को वापस लौटाएगा ।

25. अनुच्छेद-25: आयकर देयता

बोलीदाता को इस निविदा के लिए संविदा देने के अनुसरण में सभी कर देयताओं कारपोरेट और अपने कार्मिकों, दोनों को वहन करना पडेगा।

26.0 अनुच्छेद-26: बोली के गैर-मूल्य वाले भाग के साथ प्रस्तुत किया जाने वाला, भरा जाने वाला, विधिवत हस्ताक्षरित किया जाने वाला करार

_______________ (कंपनी) और गेल (इंडिया) लिमिटेड (भारतीय सार्वजनिक लोक उघम) के बीच यह स्पष्टतापूर्वक सहमत तथा ज्ञात है कि गेल (इंडिया) लि. इस करार पर अपनी खुद की और से हस्ताक्षर कर रहा है न कि किसी अन्य व्यक्ति या संस्था की और से। वस्तुत: यह स्पष्टतापूर्वक ज्ञात और सहमत है कि भारत सरकार इस करार का पक्षकार नहीं है और इसके अंतगर्त उसकी कोई देयता, दायित्व अथवा अधिकार नहीं है। यह स्पष्टतापूर्वक ज्ञात और सहमत है कि गेल (इंडिया) लिमिटेड एक स्वतंत्र विधिक संस्था है जिसके पास भारत की लागू विधियों तथा संविदा विधि के सामान्य सिद्धांतों के अंतर्गत खुद अपनी और से संविदा पर हस्ताक्षर करने की शक्ति और अधिकार है। ____________ (कंपनी) स्पष्टतापूर्वक यह स्वीकार करती है, मानती तथा समझती है कि गेल (इंडिया) लिमिटेड भारत सरकार का कोई एजेंट, प्रतिनिधि अथवा प्रतिनिधि मंडल नहीं है। यह भी ज्ञात और सहमत है कि भारत सरकार इस करार के परिणामस्वरूप किसी भी कार्यवाही, भूल, चूक, उल्लंघन अथवा गलती के लिए उत्तरदायी नहीं है और न ही होगी। तदनुसार ____________ कंपनी एतद्वारा सरकार के खिलाफ क्रास दावों, इम्पलीडर दावों अथवा काउंटर दावों सहित किसी भी अथवा सभी कार्यवाइयों अथवा दावों को स्पष्टतापूर्वक अधित्यक्त, निर्मुक्त और त्यागती है तथा भारत सरकार के खिलाफ वाद नहीं चलाने हेतु प्रतिज्ञा करती है।

27.0 अनुच्छेद-27 : बीजक और भुगतान

संविदा संबंधी सभी भुगतान गेल, भारत द्वारा निर्युक्त किए जाएंगे। सभी बीजक निम्न पते पर भेजे जाने चाहिए:

गेल (इंडिया) लिमिटेड

भारत

आदेशोपरांत पत्राचार :
आदेशोपरांत सभी पत्राचार निम्न पते पर किए जाने चाहिए

गेल (इंडिया) लिमिटेड

भारत

28.0 अनुच्छेद-28: गेल का बैंक

गेल का बैंक निम्नलिखित है:- ______________________________

भाग – 3

संविदा की सामान्य शर्तें (जीसीसी)

अनुच्छेद 3.1 परिभाषा एवं व्याख्या

इस दस्तावेज में इसके अंतर्गत परिभाषित निम्नलिखित शब्दों और अभिव्यक्तियों का एतद्वारा दिया गया अर्थ होगा सिवाय संदर्भ अन्यथा होने पर:

करार का अर्थ है निविदा दस्तावेज के अनुसार सेवाओं के लिए गेल तथा परामर्शदाता के बीच गैर न्यायिक स्टांप पेपर पर निष्पादित करार।

गेल/मालिक का अर्थ होगा गेल (इंडिया) लिमिटेड।

गेल के प्रतिनिधि का अर्थ है संविदा के निष्पादन के लिए गेल द्वारा समय-समय पर नियुक्त अथवा प्राधिकृत व्यक्ति।

परामर्शदाता के प्रतिनिधि का अर्थ है संविदा के निष्पादन के लिए परामर्शदाता द्वारा समय-समय नियुक्त व्यक्ति।

प्रभारी अभियंता/प्रभारी एक्जीक्यूटिव का अर्थ गेल द्वारा समय-समय पर नामोदिृष्ट व्यक्ति होगा और इसमें इस संविदा के प्राचालन के लिए, उसकी और से और उसके लिए स्पष्टतापूर्वक प्राधिकृत सभी व्यक्ति शामिल होंगें।

हस्ताक्षरित का अर्थ है गेल द्वारा इस दस्तावेज में यथा संकल्पित और स्वीकृत परामर्शदाता द्वारा कोई मुख्य काम पूरा करने के लिए दर्ज विवरण।

संविदा का अर्थ स्वीकार्यता पत्र, सभी संलग्न दस्तावेज और उसमें संदर्भित सभी दस्तावेज एवं तत्संबंधी सभी शर्तें एवं निबंधन व तत्संबंधी उत्तरवर्ती कोई भी आशोधन होगा।

सेवाओं का अर्थ है संविदा की शर्तों एवं निबंधन के अनुसार परामर्शदाता द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाएं तथा निष्पादित किए जाने वाले दायित्व।

शीर्षक : इसमें आने वाले शीर्षक केवल सुविधा के प्रयोजनार्थ है और संविदा की व्याख्या तथा गठन में इन पर विचार नहीं किया जाएगा।

एकवचन और बहुवचन शब्द: संदर्भ के अनुसार एकवचन में बहुवचन तथा बहुवचन में एकवचन शामिल है।

अनुच्छेद 3.2 : परामर्शदाता द्वारा दायित्वों और सेवाओं का निष्पादन

3.2.1 परामर्शदाता संविदा की शर्तों एवम् निबंधनों तथा लागू किन्हीं भी स्थानीय विधियों तथा विनियमों के अनुसार अपनी सेवाएं निष्पादित करेगा तथा उपर्युक्त परियोजना कार्य के निर्वहन में सभी उपयुक्त व्यावसायिक दक्षता, परिचर्या और लगन का प्रयोग करेगा। परामर्शदाता सभी व्यावसायिक मामलों में गेल के विश्वसनीय सलाहकार के रूप में कार्य करेगा और ऐसी सारी विशेषज्ञ वाणिज्यिक/तकनीकी सलाह प्रदान करेगा जो सामान्यत: उस सेवा की श्रेणी के लिए अपेक्षित है जिसके लिए इसे लगाया गया है।

परामर्शदाता, इसका स्टाफ, कर्मचारी सर्वोत्तम व्यावसायिक आचरण के अनुरूप अपने सभी उत्तरदायित्वों का निर्वहन करेंगे।

परामर्शदाता निविदा की शर्तों के अनुरूप और देय समय में दस्तावेज/रिपोर्टें आदि तैयार और प्रस्तुत करेगा।

3.2.2 परामर्शदाता कार्य निष्पादित करने के लिए उत्तरदायी होने हेतु यथा निर्धारित संविदा, कार्मिक के निष्पादन को कायम रखेगा और ऐसा व्यक्ति गेल के लिखित अनुमोदन के बगैर प्रतिस्थापित अथवा परिवर्तित नहीं किया जाएगा।

अनुच्छेद 3.3 : गेल का प्रतिनिधि

3.3.1 गेल अपने प्रतिनिधि(यों) नामित करेगा जो गेल की ओर से किसी भी निर्णय के संबंध में वह सभी कार्य करने हेतु पात्र होंगें जो करने के लिए इसे अधिकार प्राप्त है। परामर्शदाता के बिल/बीजक को भुगतान हेतु ऐसे प्रतिनिधियों द्वारा सत्यापित किया जाएगा।

अनुच्छेद 3.4 : परामर्शदाता के प्रतिनिधि

3.4.1 परामर्शदाता अपने प्रतिनिधि के रूप में किसी ऐसे अर्हक और अनुभवी व्यक्ति को नामित करेगा, जो संविदा के निष्पादन के लिए गेल और परामर्शदाता के बीच संपर्क व्यक्ति होगा। संवदि लागू होने के 10 दिनों के उपरांत यह नामांकन किया जाएगा। परामर्शदाता गेल को नए प्रतिनिधि की नियुक्ति से पूर्व लिखित में सूचना देगा। परामर्शदाता के प्रतिनिधि को गेल से उसके जीवनवृत को अनुमोदित करवाने के उपरांत ही गेल की सहमति से बदला जा सकता है।

गेल को यह स्वतंत्रता होगी कि वह किसी भी नामांकन पर आपत्ति जता सकता है और बेहतर कारणों के लिए परामर्शदाता के प्रतिनिधियों को हटाने के लिए परामर्शदाता से कह सकता है। परामर्शदाता तत्काल ऐसे व्यक्ति को सक्षम विकल्प द्वारा प्रतिस्थापित करेगा और गेल को इसके लिए अतिरिक्त लागत नहीं देनी पडेगी।

3.4.2 परामर्शदाता का प्रतिनिधि इस संविदा के अंतर्गत किए गए किसी भी निर्णय के संबंध में परामर्शदाता की और से फार्म भरने हेतु पात्र होगा।

अनुच्छेद 3.5 : भुगतान संबंधी शर्तें

3.5.1 गेल निविदा में नियमों के अनुसार प्रदत्त सेवाओं के लिए ही ई-बैंकिंग (आईसीआईसी बैंक, एचडीएफसी बैंक अथवा भारतीय स्टेट बैंक के जरिए) के जरिए भुगतान करेगा। परामर्शदाता के बैंक संबंधी सभी प्रभार परामर्शदाता के खाते में जाएंगें।

3.5.2 परामर्शदाता गेल को निविदा में उपबंधित शर्तों और निबंधनों के अनुरूप बीजक देगा।

3.5.3 भुगतान संबंधी शर्तें निम्नलिखित होगी:

3.5.3.1 रिपोर्टें तैयार करने हेतु सभी परामर्शी कार्यों के लिए भुगतान संबंधी शर्तें निम्नलिखित होंगी :-

- प्रारूप रिपोर्ट प्रस्तुत एवं स्वीकार 60 प्रतिशत

जहां आउटसोर्सिंग की जरूरत पडेगी वहां भुगतान की धनराशि 60 प्रतिशत किए गए कार्य के आधार पर निर्मुक्त की जाएगी जैसे बाजार के सर्वेक्षण के लिए रिपोर्ट प्रस्तुत करना आदि। ऐसे कार्य के लिए भुगतान की राशि 60 प्रतिशत की सीमा के अंदर 40 प्रतिशत के अध्यधीन आउटसोर्स की गई एजेंसियों को किए गए वास्तविक भुगतान तक सीमित होगी।

- अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत करने एवं स्वीकार करने पर 40 प्रतिशत।

जहां ईएमपी/ईआईए/आरआरए शामिल हैं वहां 40 प्रतिशत भुगतान को निम्नानुसार विभाजित किया जाएगा:-

- अंतिम डीएफआर/रिपोर्ट प्रस्तुत करने एवं स्वीकार करने पर 40 प्रतिशत।
- ईएमपी/ईआईए/आरआरए प्रस्तुत करने एवं स्वीकार करने पर 40 प्रतिशत।

यदि स्वीकार्यता की सूचना 30 दिनों के भीतर नहीं दी जाएगी तो इसे स्वीकार किया मान लिया जाएगा।

डिस्क्लेमर: अंग्रेजी और उसके हिंदी अनुवाद में किसी भी विसंगति के मामले में, व्याख्या और कानूनी पहलुओं के लिए, अंग्रेजी संस्करण मान्य होगा।
Disclaimer: In case of any discrepancy in English & its Hindi translation, for interpretation and legal aspects, the English version shall prevail.

3.5.3.2 **अधिग्रहण / देय परामर्शी मामलों के लिए**: भुगतान संबंधी शर्तें निम्नानुसार होंगी:

चरण	**भुगतान (एकमुश्त मूल्य की प्रतिशतता)**
क) प्रारूप रिपोर्ट प्रस्तुत करने एवं स्वीकार करने पर	40 प्रतिशत
ख) गेल द्वारा अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत करने एवं स्वीकार करने पर	20 प्रतिशत
ग) बोली तैयार करने और प्रस्तुत करने पर	15 प्रतिशत
घ) समझौता होने, कार्य को अंतिम रूप दिए जाने और कार्य निष्पादित करने पर	25 प्रतिशत

यदि स्वीकार्यता की सूचना 30 दिनों के भीतर नहीं दी जाएगी तो इसे स्वीकार किया मान लिया जाएगा।

गेल के पास पूर्ववर्ती चरण के पूरा होने पर, जैसा कि ऊपर दर्शाया गया है, और चरण पूरा होने से संबंधी सभी प्रदेय प्रस्तुत करने पर संविदा के अगले चरण पर हस्ताक्षर करने अथवा इसको समाप्त करने का अधिकार सुरक्षित है। ऐसे मामले में परामर्शदाता को दिए जाने वाला भुगतान ऊपर यथानिर्दिष्ट पूरे किए गए चरण हेतु देय भुगतान तक सीमित होगा।

3.5.3.3 **पीएमसी कार्य/परियोजना गुणवत्ता परामर्शदाताओं के लिए :** भुगतान संबंधी शर्तें निम्नानुसार होंगी:

- 15 दिनों के बीजक के आधार पर प्रगामी रूप से कार्यक्षेत्र में यथा अभिज्ञात परियोजना के प्रत्येक कार्यकलाप हेतु कार्य पूरा होने पर — 95 प्रतिशत
- कार्य पूरी तरह से पूरा हो जाने पर परियोजना बंद करने के उपरांत — 5 प्रतिशत

3.5.3.4 **परियोजना मॉनिटरिंग तथा तृतीय पक्षकार द्वारा निरीक्षण सेवाओं के लिए बैकअप परामर्शदाता हेतु भुगतान श्रम दिवस की दर पर आधारित होगा।**

3.5.4 बीजक से संबंधित किसी भी समाधान के मामले में वे इनकी प्राप्ति के 15 दिनों के अंदर इन्हें परामर्शदाताओं को इन्हें निरस्त करने संबंधी कारण लिखित में विनिर्दिष्ट करते हुए वापस लौटा देगा

- गेल इसके अनुच्छेद 3.5.3 के अनुसार बीजक की अविवादित धनराशि का भुगतान करेगा।
- यदि कोई विवादित धनराशि होगी तो इसका भुगतान गेल और परामर्शदाता के बीच परस्पर समाधान के उपरांत किया जाएगा।
- बीजक को पूर्णताया अथवा आंशिक रूप से निरस्त करने से परामर्शदाता इस संविदा के अंतर्गत अपनी किसी भी देयता से मुक्त नहीं होगा।

अनुच्छेद 3.6: निष्पादन प्रतिभूति

3.6.1 परामर्शदाता किसी भी भारतीय अनुसूचित बैंक अथवा भारत में स्थित और भारतीय रिजर्व बैंक में अधिसूचित विदेशी बैंक के रूप में पंजीकृत किसी अंतर्राष्ट्रीय बैंक की शाखा से बिना शर्त, अप्रतिसंहणीय और पहली मांग प्रतिभूति गेल को प्रस्तुत करेगा। तथापि, राष्ट्रीयकृत भारतीय बैंकों के अलावा जिन बैंकों के बीजी प्रस्तुत हो गए हैं वे ऐसे वाणिज्यक बैंक होने चाहिए, जिनकी निवल मूल्य 100 करोड़ रुपए से ज्यादा हो और ऐसे वाणिज्यक बैंक द्वारा बैंक गारंटी में ही अथवा अलग से पत्र-शीर्ष पर इस आशय की घोषणा दी जानी चाहिए।

संविदा निष्पादन प्रतिभूति का मूल्य संविदा के देय निष्पादन के 5 प्रतिशत संविदा मूल्य तक होगा। संविदा निष्पादन प्रतिभूति संविदा की प्रतिभूति / वारंटी की अवधि के उपरांत 3 माह की अवधि तक वैद्य रहेगी। निष्पादन प्रतिभूति का प्रपत्र इसके साथ संलग्न है (**अनुलग्नक ग**)। ऐसी प्रतिभूति प्राप्त करने में हुए सारे खर्चों का वहन परामर्शदाता द्वारा किया जाएगा।

डिस्क्लेमर: अंग्रेजी और उसके हिंदी अनुवाद में किसी भी विसंगति के मामले में, व्याख्या और कानूनी पहलुओं के लिए, अंग्रेजी संस्करण मान्य होगा।
Disclaimer: In case of any discrepancy in English & its Hindi translation, for interpretation and legal aspects, the English version shall prevail.

3.6.2.1 संपूर्णता अवधि में विस्तार के मामले में परामर्शदाता को संविदात्मक अपेक्षाओं के अनुरूप यथोचित समयावधि के लिए निष्पादन गारंटी बढ़ानी पड़ेगी।

अनुच्छेद 3.7 गोपनीयता

3.7.1 परामर्शदाता/गेल संविदा से संबंधित सभी मामलों को पूर्णतया गोपनीय मानेगा और इन्हें किसी भी रूप में सूचना, दस्तावेज, तकनीकी डाटा और गेल / परामर्शदाता द्वारा उसे उपलब्ध कराई गई जानकारी एवं अनुभव के जरिए गेल / परामर्शदाता की पूरी लिखित सहमति के बगैर प्रदर्शित नहीं करेगा।

3.7.2 परामर्शदाता यह भी प्रतिज्ञा लेगा की गोपनीय सूचना की उपलब्धता इसके कर्मचारियों, क्रियान्वयन करने वाले ऐसे साझेदारों तक ही सीमित होगी जिन्हें संविदा के समुचित निष्पादन के लिए इसकी अत्यधिक जरूरत होगी बशर्ते कि परामर्शदाता यह सुनिश्चित करेगा कि इनमें से प्रत्येक को यह बता दिया गया है कि इन सूचनाओं की प्रकृति गोपनीय है और इन्हें प्रकट नहीं किया जाना है।

अनुच्छेद 3.8: कर और शुल्क

3.8.1 परामर्शदाता द्वारा सेवा कर, शुल्क, ऐसे सभी प्रभारों सहित सभी और किसी भी प्रकार के करों का भुगतान किया जाएगा जो संविदा के निष्पादन के संबंध में देय हैं। उद्धृत मूल्यों में ऐसे सभी कर और शुल्क शामिल होंगे।

3.8.2 संविदात्मक संपूर्ण अवधि में किसी भी प्रकार के करों (सीएसटी, एलएसटी, डब्ल्यूसीटी, विदहोल्डिंग कर, सेवा कर आदि) अथवा शुल्कों में सांविदिक परिवर्तन का वहन गेल द्वारा किया जाएगा। सांविदिक दरों और शुल्कों के अलावा करों एवं शुल्कों में अन्य किसी प्रवर्तन हेतु भुगतान नहीं किया जाएगा।

3.8.3 परामर्शदाता उसके द्वारा भुगतान किए गए किसी भी कर का गेल से दावा नहीं करेगा।

3.8.4 गेल लागू दरों पर स्रोत पर आयकर कटौती करेगा।

अनुच्छेद 3.9: विवादों का निपटारा / माध्यस्थम

3.9.1 गेल और परामर्शदाता संविदा के अंतर्गत अथवा इसके संबंध में उनके बीच पैदा हुए किसी भी असहमति अथवा विवाद का प्रत्यक्ष औपचारिक वार्ता द्वारा मैत्रीपूर्ण ढंग से समाधान करने हेतु हर संभव प्रयास करेंगें।

3.9.2 पक्षकारों के बीच ऐसे सभी विवादों, आपत्तियों अथवा दावों (सिवाय ऐसे मामलों के जहां कार्यकारी/प्रभारी अभियंता का निर्णय अंतिम और बाध्यकारी है), जिनका उपयुक्त समय के अंदर परस्पर रूप से समाधान नहीं हो सकता है, को मुख्य माध्यस्थम द्वारा मध्यस्थता हेतु रेफर किया जाएगा।

गेल तीन स्वतंत्र और अन्य पार्टी (परामर्शदाता) के विशिष्ट व्यक्तियों के पैनल का सुझाव देगा जिनमें से एक का चयन एकमात्र माध्यस्थम के रूप में कार्य करने हेतु किया जाएगा।

अन्य पक्षकार द्वारा माध्यस्थम के पैनल का सुझाव देने संबंधी सूचना प्राप्त होने के 30 दिनों के भीतर एकमात्र माध्यस्थम का चुनाव नहीं किए जाने पर अन्य पक्षकार द्वारा एकमात्र माध्यस्थम के चयन का अधिकार खत्म हो जाएगा और गेल के पास एकमात्र माध्यस्थम की नियुक्ति के संबंध में विवेकानुसार कार्यवाही करने का अधिकार होगा। एकमात्र माध्यस्थम नियुक्त करने के संबंध में गेल का निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होगा।

एकमात्र माध्यस्थम द्वारा दिया गया निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होगा और एकमात्र माध्यस्थम द्वारा जब तक अन्यथा दिशा-निर्देश/निर्णय न दिया जाए, मुकदमें की कार्यवाही की लागत का पक्षकारों द्वारा समान रूप से साझा किया जाएगा। माध्यस्थम की कार्यवाही अंग्रेजी भाषा में होगी और इसका स्थान नई दिल्ली, भारत होगा।

डिस्क्लेमर: अंग्रेजी और उसके हिंदी अनुवाद में किसी भी विसंगति के मामले में, व्याख्या और कानूनी पहलुओं के लिए, अंग्रेजी संस्करण मान्य होगा।
Disclaimer: In case of any discrepancy in English & its Hindi translation, for interpretation and legal aspects, the English version shall prevail.

उपर्युक्त के अध्यधीन (भारतीय) माध्यस्थम एवं समाधान अधिनियम, 1996 के प्रावधान तथा इनके अंतर्गत् बनाए गए नियम लागू होंगे। इस संविदा से संबंधित सभी मामले दिल्ली (भारत) राज्य में स्थित न्यायालयों के विशेष क्षेत्राधिकार के अध्यधीन है।

3.9.3 परामर्शदाता कृपया यह नोट करें कि माध्यस्थम एवं समाधान अधिनियम, 1996 को भारतीय संसद द्वारा पारित किया गया था और यह संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय व्यापार विधि आयोग (यूएनसीआईटीआरएएल मॉडल विधि) पर आधारित है, जिसे माध्यस्थम संस्थानों और अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यक माध्यस्थम केंद्रों के साथ गहन विचार-विमर्श करके तैयार किया गया था। संयुक्त राष्ट्र कि आम सभा ने संकल्प 31/98 के तहत दिसंबर 1976 को यूएनसीआईटीआरएएल माध्यस्थम नियमों को अंगीकार किया।

अनुच्छेद 3.10 विधिक निर्माण

3.10.1 इस अनुक्ष्छेद के प्रावधानों के अध्यधीन यह संविदा सभी पहलुओं में भारतीय संविदा और तत्समय लागू भारतीय विधियों के अनुरूप विनिर्मित और प्रचालित है और यह नई दिल्ली स्थिति विधि न्यायालय को रेफर किए जाने के अध्यधीन है।

अनुक्ष्छेद 3.11 दायित्व और सेवाओं के निष्पादन को निलंबित करना

3.11.1 गेल किसी भी समय परामर्शदाताओं की सेवाओं के निष्पादन को पूर्ण रूप से अथवा आंशिक रूप से कम से कम 15 दिन का नोटिस देकर निलंबित कर सकता है।

3.11.2 निलंबन का नोटिस मिलने पर परामर्शदाता सेवाओं को तत्काल रोक देगा और दोनों पक्षकारों द्वारा सम्मत न्यूतम स्तर तक व्यय में कमी लाएगा।

3.11.3 सेवाओं के निष्पादन के निलंबन पर परामर्शदाता उन लागतों की प्रतिपूर्ति के लिए पात्र होगा जो ऐसे निलंबन की तारीख से पहले उसके द्वारा वास्तविक रूप से लगाई गई हो। तथापि, कुल प्रतिपूर्ति संविदा के मूल्य तक सीमित होगी।

3.11.4 15 दिन का पूर्व नोटिस देकर गेल परामर्शदाता से यह अनुरोध कर सकता है कि वह सेवाओं का निष्पादन पुन: प्रारंभ करे परंतु इसके लिए गेल किसी भी अतिरिक्त लागत का व्यय नहीं करेगा।

3.11.5 गेल के अनुरोध पर परामर्शदाता द्वारा 10 दिनों से ज्यादा काम रोकने पर परामर्शदाता को दर अनुसूची के अनुसार डी-मोबिलाइजेशन और रि-मोबिलाइजेशन प्रभारों का भुगतान किया जाएगा।

3.11.6 यदि 6 महीनों से ज्यादा तक कार्य और सेवाएं लंबित रहती हैं तो कोई भी पक्षकार इस निविदा के अनुच्छेद 3.16 के अनुसार इस निविदा को समाप्त करने हेतु पात्र होगा।

अनुच्छेद 3.12: मूल्य कटौती अनुसूची (पीआरएस)

3.12.1 यदि परामर्शदाता निर्धारित अवधि के भीतर सेवाएं पूरी करने में असफल रहता है, तो जब तक ऐसी विफलता का कारण इसमें अनुच्छेद 3.19 में यथापरिभाषित अप्रत्याशित घटना न हो अथवा यह गेल की गलती की वजह से न हो, तो विलंब अथवा उसके भाग के प्रत्येक सप्ताह के लिए ½ प्रतिशत की दर से संविदा मूल्य में कटौती की जाएगी जो संविदा मूल्य के अधिकतम 5 प्रतिशत के अध्यधीन होंगी।

3.12.2 गेल वसूली की किन्हीं भी पद्धतियों के प्रति भेद-भाव किए बगैर किसी भी देय राशि में से अथवा संविदा के अंतर्गत् परामर्शदता की देयतओं और दायित्वों से इसकी ओर किसी भी समय देय होने वाली धनराशि में से अथवा निष्पादन बैंक प्रतिभूति में से वसूली द्वारा ऐसे पीआरएस की धनराशि की कटौती कर सकता है। परामर्शदाता और गेल दोनों सहमत हैं कि मूल्य कटौती की उपर्युक्त प्रतिशतता ऐसी हानि / क्षति के वास्तविक पूर्व अनुमान है जो परामर्शदाता द्वारा विलंब/उल्लंघन करने के कारण गेल को हुई है और उपर्युक्त

डिस्क्लेमर: अंग्रेजी और उसके हिंदी अनुवाद में किसी भी विसंगति के मामले में, व्याख्या और कानूनी पहलुओं के लिए, अंग्रेजी संस्करण मान्य होगा।
Disclaimer: In case of any discrepancy in English & its Hindi translation, for interpretation and legal aspects, the English version shall prevail.

धनराशि ऐसे उल्लंघन/विलंब द्वारा हुई वास्तविक हानि / अथवा क्षति का काई भी साक्षय प्रस्तुत किए बगैर देय होगी। मूल्य कटौती की प्रयोज्यता के मामले में गेल का निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होगा।

अनुच्छेद 3.13: कार्य सौंपना

परामर्शदाता के पास इस संविदा अथवा इसके किसी भाग से होने वाले लाभ और दायित्वों को गेल की गेल को लिखित में पूर्व अनुमति के बगैर तृतीय पक्षकार को सौंपने अथवा अंतरित करने का अधिकार नहीं होगा, जो यह अपने विवेकानुसार करेगा। तथापि, ऐसी स्थिति में सभी विधिक/संविदात्मक देयता ने केवल परामर्शदता पर ही बाध्यकारी होंगी।

अनुच्छेद 3.14: औद्योगिक एवं बौद्धिक संपदा

3.14.1 सेवाएं निष्पादित करने के लिए परामर्शदाता को स्वयं अनिवार्य असाइनमेंट, सदृश पेटेंटो के शीर्षधारी से परमिट और प्राधिकार पत्र, मॉडल, ट्रेडमार्क, नाम और अन्य संरक्षित अधिकार अवश्य प्राप्त कर लेने चाहिए और वह गेल को हानिरहित रखेगा तथा गेल को उपयुक्त पेटेंटो, मॉडलों, ट्रेडमार्क के नामों और अन्य संरक्षित अधिकारों के उल्लंघन की वजह से होने वाले किन्हीं भी दावों, कार्यवाहियों, क्षतियों, लागतों और खर्चों (विधिक लागत सहित परंतु इस तक ही सीमित नहीं) से और इनके प्रति क्षतिपूर्ति करेगा।

3.14.2 गेल को प्रस्तुत कार्यक्षेत्र के संबंध में परामर्शदाता द्वारा एकत्रित और तैयार किए गए सभी दस्तावेज, रिपोर्ट, सूचना, डाटा आदि गेल की संपत्ति होगी।

3.14.3 परामर्शदाता गेल द्वारा दिए गए दस्तावेजों, रिपोर्टों का इस्तेमाल किसी भी तृतीय पक्षकारों द्वारा कोई भी सेवा दिए जाने हेतु करने के लिए प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष रूप से पात्र नहीं होगा।

3.14.4 परामर्शदाता गेल की लिखित पूर्वानुमति के बगैर सेवाओं के निष्पादन से जुड़े अथवा संबंधित डाटा अथवा अध्ययन अथवा व्याख्यात्मक निर्देशनात्मक रहित अथवा सहित लेख प्रकाशित करने हेतु पात्र नहीं होगा।

अनुच्छेद 3.15: देयताएं

3.15.1 संविदा में किसी भी व्यक्त प्रावधान के प्रति भेद-भाव किए बगैर परामर्शदाता इस संविदा के अंतर्गत किसी भी विलंब, निष्पादन के अभाव, करार के उल्लंघन और/अथवा किसी भी चूक के लिए स्वयं जिम्मेदार होगा।

3.15.2 परामर्शदाता संविदा के अनंतिम स्वीकार्यता प्रमाण-पत्र को जारी करने के उपरांत आगामी 12 महीनों तक अपने घोर उपेक्षा की वजह से होने वाले किसी भी नुकसान के लिए उत्तरदायी बना रहेगा।

3.15.3 देयता की धनराशि संविदा मूल्य के 10 प्रतिशत तक सीमित होगी।

अनुच्छेद 3.16: संविदा को समाप्त करना

3.16.1 चूक होने पर संविदा समाप्त करना।

गेल के पास संविदा के अंतर्गत कोई भी देयता निष्पादित करने में परामर्श द्वारा असफल रहने पर संविदा के उल्लंघन के लिए अन्य समाधान के प्रति कोई भी भेदभाव न रखते हुए और गेल से चूक संबंधी नोटिस प्राप्त होने के 30 दिनों (अथवा ऐसी लंबी अवधि जो गेल द्वारा लिखित में बताई गई हो) की अवधि के भीतर परामर्शदाता द्वारा अपनी असफलता को ठीक नहीं करने पर एक माह का नोटिस देकर संविदा को समाप्त करने/लघु समापन करने का अधिकार है।

3.16.2 दिवालियापन के कारण संविदा समाप्त करना

गेल किसी भी समय परामर्शदाता को मुआवजे के बगैर लिखित में नोटिस देकर संविदा को समाप्त कर सकता है, यदि परामर्शदाता दिवालिया अथवा अन्यथा दिवालिया बन जाए बशर्तें कि ऐसे समापन से ऐसे किसी भी कार्य अथवा समाधान संबंधी अधिकार पर असर नहीं पड़ेगा अथवा भेदभाव नहीं किया जाएगा जो इसके उपरांत गेल ने किया हो अथवा करेगा ।

3.16.3 सुविधा के लिए संविदा समाप्त करना

गेल अपनी सुविधानुसार किसी भी समय पूर्ण अथवा आंशिक रूप से परामर्शदाता को लिखित नोटिस भेज कर संविदा को समाप्त कर सकता है। तथापि, भुगतान उस सीमा तक निर्मुक्त किया जाएगा जिस सीमा तक उस तारीख तक गेल द्वारा यथानिर्धारित निष्पादित कार्य किया गया है जिसको यह समापन प्रभावी हुआ है।

अनुच्छेद 3.17: संशोधन

संविदा में कोई भी संशोधन अथवा परिवर्धन तब तक बाध्यकारी नहीं होगा जब तक इसे दोनों पक्षकरों द्वारा लिखित में अथवा सहमति से न बनाया गया हो।

अनुच्छेद 3.18: करार / संविदा

एलओआई प्राप्त होने की तारीख से 10 दिनों के भीतर प्रपत्र (अनुलग्क-ख) के अनुसार _______________ के मूल्य के गैर-न्यायिक स्टैंप पेपर पर करार के साथ संविदा देने संबंधी सूचना और इसके अनुलग्नक पक्षकरों के बीच संविदा बन जाएंगे और इस मामले के विषय के संबंध में पक्षकरों के बीच अन्य सभी पूर्व करार, व्यवस्थाएं और संप्रेषण, चाहे मौखिक हो अथवा लिखित, का अधिक्रमण हो जाएगा, स्टैंप पेपर की लागत का वहन परामर्शदाता द्वारा किया जाता है।

अनुच्छेद 3.19: अप्रत्याशित घटना

अप्रत्याशित घटना का निम्नलिखित अर्थ होगा और यह निम्नलिखित तक सीमित होगी:

क) युद्ध/लड़ाई

ख) दंगे अथवा गृह युद्ध

ग) भूकंप, बाढ़, बिजली गिरना, भारी वर्षा अथवा अन्य कोई प्राकृतिक आपदा

घ) सरकार अथवा अन्य सरकारी निकाय द्वारा लगाए गए ऐसे प्रतिबंध जिससे परामर्शदाता द्वारा संविदा का निष्पादन बाधित अथवा निलंबित हो।

परामर्शदाता ऐसी अप्रत्याशित घटनाएं शुरू होने और खत्म होने के 7 दिनों के भीतर विलंब के उपर्युक्त कारणों के शुरू अथवा खत्म होने के संबंध में एक पंजीकृत पत्र द्वारा गेल को सूचना देगा जिसे स्थानीय वाणिज्य संघ अथवा सांविधिक प्राधिकारियों द्वारा विधिवत सत्यापित किया जाएगा। अप्रत्याशित घटनाओं की वजह से एक माह से ज्यादा तक विलंब जारी रहने की स्थिति में गेल के पास संविदा को निरस्त करने का अधिकार है और अनुच्छेद 3.16 के अंतर्गत उल्लिखित समापन संबंधी प्रावधान लागू होगें।

अप्रत्याशित घटनाओं की वजह से होने वाले विलंब के लिए परामर्शदाता कार्य संपूर्ण करने के लिए समय विस्तार में ऐसी अप्रत्याशित घटनाओं के कारण होने वाले विलंब की अवधि से अधिक अवधि के लिए दावा नहीं करेगा तथा न तो गेल और न ही परामर्शदाता किसी भी अन्य लागत का भुगतान करने हेतु उत्तरदायी नहीं होगें

बशर्तें कि परस्पर रूप से यह स्थापित न हो जाए कि अप्रत्याशित घटनाओं की वजह से उत्पन्न स्थितियों के कारण वास्तव में ऐसा हुआ था।

परामर्शदाता श्रेणीबद्ध रूप से अपनी बोली प्रस्तुत करते समय अपने कार्यों में प्रचलित अप्रत्याशित घटानाओं संबंधी स्थितियों की सीमा को विनिर्दिष्ट करेगा और यह भी विनिर्दिष्ट करेगा कि क्या अपनी कोटेशन में इन पर विचार किया गया है अथवा नहीं। किसी भी अप्रत्याशित घटना के घटित होने पर परामर्शदाता और गेल इस आदेश के अंतर्गत अपनी देयताओं का निष्पादन करने में होने वाले विलंब के लिए उत्तरदायी नहीं होगें और परामर्शदाता द्वारा कार्य पूरा करने की तारीख को आगे बढ़ाया जाएगा और विलंब से कार्य पूरा करने के लिए मूल्य में कटौती नहीं कि जाएगी, जैसे कि अन्यत्र बताया गया है।

अनुच्छेद 3.20: सुधार करने की अवधि

सभी सेवाएं संविदा में निर्धारित शर्तों और निबंधनों के अनुरूप ही प्रदान की जाएंगी।
गेल की लिखित सहमति के बगैर ऐसी स्थितियों में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा और यह सहमति आदेश के अनुरूप कार्य शुरू करने से पहले अवश्य ले लेनी चाहिए। संविदा के अनुसरण में परामर्शदाता द्वारा प्रदान की गई सभी सेवाओं के संबंध में यह गांरटी है कि वे अपने-अपने क्षेत्र में सर्वोच्च गुणवत्तायुक्त होंगी (चाहे इंजीनियरिंग, डिजाइन संबधी डाटा और अन्य सूचना गेल द्वारा दी गई हो, समीक्षा की गई हो अथवा अनुमोदित की गई हो या नहीं)।

परामर्शदाता अपनी रिपोर्ट स्वीकार करने के 12 महीनों के अंदर अध्ययन में किसी भी डाटा को मानने अथवा गलत डाटा इस्तेमाल करने अथवा गलत अध्ययन करने में हुई किसी भी गलती को अपनी स्वयं की लागत से स्वीकार करेगा और गलतियों को ठीक करने के 30 दिनों के अंदर यथालागू परिवर्तनों को शामिल करते हुए संशोधित रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।

अनुच्छेद 3.21: उप-संविदा देना

सेवाओं के संबंध में परामर्शदाता द्वारा की गई कोई भी उप-संविदा केवल ऐसी सीमा और ऐसे विधिवत अर्हक विशेषज्ञों तथा संख्याओं के साथ ही की जाएगी जिन्हें गेल द्वारा अग्रिम में लिखित में अनुमोदित किया जाएगा। गेल के अनुरोध पर परामर्शदाता गेल के पूर्वानुमोदन के लिए ऐसे उप-संविदाकार की सेवाओं के लिए संदर्भ शर्तें अथवा तत्संबंधी कोई भी संशोधन प्रस्तुत करेगा। ऐसे अनुमोदन के बावजूद परामर्शदाता संविदा के अंतर्गत सेवाओं के निष्पादन के लिए पूरी तरह से उत्तरदायी होगा।

अनुच्छेद 3.22: नोटिस

3.22.1 संविदा के अनुसरण में एक पक्षकार द्वारा दूसरे पक्षकार को दिया गया कोई नोटिस लिखित में अथवा टेलीग्राम अथवा फैक्स/केवल द्वारा भेजा जाएगा और इसकी पुष्टि लिखित में की जाएगी।

3.22.2 कोई भी नोटिस प्राप्त होने पर अथवा नोटिस की प्रभावी तारीख, जो भी बाद में हो, से प्रभावी होगा।

अनुच्छेद 3.23: डाटा प्राप्त करना

यदि जरूरत होगी तो परामर्शदाता अनिवार्य स्रोत से डाटा लेने तथा किसी भी सर्वेक्षण को करने के लिए उत्तरदायी होगा। यदि परामर्श किसी भी दाता लिखित में गेल से अनुरोध करेगा तो वह केवल अनुशंसित प्रत्र जारी करके उपर्युक्त डाटा को प्राप्त करने में मदद कर सकता है। कार्य को पूरा करने हेतु अपेक्षित सभी आवश्यक स्वीकृतियां, समन्वय, शुल्क, प्रभार आदि तथा स्थानीय विधियों का अनुपालन करना परामर्शदाता का उत्तरदायित्व होगा।

डिस्क्लेमर: अंग्रेजी और उसके हिंदी अनुवाद में किसी भी विसंगति के मामले में, व्याख्या और कानूनी पहलुओं के लिए, अंग्रेजी संस्करण मान्य होगा।
Disclaimer: In case of any discrepancy in English & its Hindi translation, for interpretation and legal aspects, the English version shall prevail.

अनुलग्नक – क

<u>बोली प्रपत्र</u>

सेवा में

गेल (इंडिया लिमिटेड)

____

____

____

प्रिय श्री,

बोली प्रपत्र संख्या ___________________________________ की जांच करने, जिसकी विधिवत पावती, स्वीकार की जाती है, के उपरांत हम अधोहस्ताक्षरी निविदा प्रापत्र में दी गई शर्तों और निबंधनों के अनुसार परामर्शी सेवाएं प्रदान करने की पेशकश करते हैं।

यदि हमारी बोली स्वीकार कर ली जाती है, तो निविदा दस्तावेज में विनिर्दिष्ट सारा कार्य इसमें विनिर्दिष्ट संपूर्ण करने संबंधी समय-सीमा में पूरा करना स्वीकार करते हैं। यदि हमारी बोली स्वीकार हो जाती है तो हम संविदा के देय निष्पादन के लिए संविदा मूल्य के अधिकतम 5 प्रतिशत की धनराशि बैंक गारंटी के रूप में प्राप्त करेंगे।

हम बोलीदाताओं हेतु अनुदेश के अंतर्गत बोली खोलने के लिए निर्धारित तारीख से चार माह की अवधि के लिए इस बोली का पालन करने हेतु स्वीकृति प्रदान करते हैं और इस समायावधि के समाप्त होने से पहले यह हमारे लिए बाध्यकारी होगा और हमें सभी समय स्वीकार्य होगा।

जब तक औपचारिक संविदा तैयार और निष्पादित नहीं होती है यह बोली और इसे देने के संबंध में आपकी लिखित स्वीकार्यता हमारे बीच बाध्यकारी संविदा का हिस्सा होंगे।

हम यह जानते हैं कि आप कोई भी न्यूनतम अथवा प्राप्त होने वाली किसी भी अन्य बोली को स्वीकार करने हेतु बाध्य नहीं है।

दिनांक ________ 20____

अधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर

नाम __________________

पदनाम ________________

तारीख:

स्थान:

मुहर________________

<u>डिस्क्लेमर</u>: अंग्रेजी और उसके हिंदी अनुवाद में किसी भी विसंगति के मामले में, व्याख्या और कानूनी पहलुओं के लिए, अंग्रेजी संस्करण मान्य होगा।
<u>Disclaimer</u>: In case of any discrepancy in English & its Hindi translation, for interpretation and legal aspects, the English version shall prevail.

अनुलग्नक-ख

संविदा करार प्रपत्र

मैसर्स _____________, इसके उपरांत "परामर्शदाता" कहलाएगा (इस शब्द, जब तक बहिष्कृत न किया जाए अथवा विषय या संदर्भ के विपरीत न हो, में इसके उत्तराधिकारी और अनुमत्य भागीदार होंगें) तथा गेल (भारत) लिमिटेड, इसके उपरांत "गेल" कहलाएगा, (इस शब्द, जब तक बहिष्कृत न किया जाए अथवा विषय या संदर्भ के विपरीत न हो, में इसके उत्तराधिकारी और अनुमत्य भागीदार होंगें) के बीच दिनांक _______, 2003 को "_________________" (इसके उपरांत "कार्य" कहलाएगा) हेतु करार।

जबकि

गेल एलओए में उल्लिखित, रेखांकित अथवा संदर्भित कतिपय कार्य के निष्पादन प्रदान करने का इच्छुक है तथा कार्य की संपूर्ण अनुसूची हेतु प्रस्ताव आमंत्रित कर लिए गए हैं;

(क) परामर्शदाता ने गेल के निविदा दस्तावेज में विनिर्दिष्ट कार्य की जांच कर ली है और उसने प्रस्ताव प्रस्तुत करने से पहले कार्य की प्रकृति और स्थानीय परिस्थितियों तथा कार्य के परिमाण, कार्य के निष्पादन के लिए आपेक्षित कार्मिक शक्ति तथा सामग्री की उपलब्धता के संबंध में गहनतापूर्वक जांच करके खुद को संतुष्ट कर लिया है और और स्थानीय तथा स्वतंत्र जांचें कर ली हैं तथा एलओ में उल्लिखित अथवा प्रदर्शित मामलों तथा चीजों के संबंध में और उससे जुड़े हुए सभी पक्षों के संबंध में सारी सूचना प्राप्त कर ली है और करार के अंतर्गत निष्पादित किए जाने वाले कार्य के निष्पादन और संपूर्णता अथवा सभी संभावित एवं स्थिति जन्य संभावित विलंबों, बाधाओं और अड़चनों की प्रकृति तथा सीमाओं पर विचार कर लिया है और कार्य की संपूर्णता पर असर डालने वाले सभी मामलों, स्थितियों और चीजों एवं इससे प्रासंगिक सभी संभाव्य व संभावित आकस्मिकताओं तथा समान्य ऐसे सभी मामलों पर विचार कर लिया है जिन्हें अपना प्रास्ताव तैयार करते समय उन्हें शामिल किया गया है।

(ख) कार्य की संपूर्णता अनुसूची सहित एलओए एवं प्रस्ताव की स्वीकार्यता संबंधी पत्र इस करार के भाग हैं हालांकि ये इसमें अलग से निर्धारित होंगें तथा यथावश्यक प्रयुक्त करार की अभिव्यक्ति में शामिल हैं।

और जबकि

गेल ने निविदा में निर्धारित मूल्यों पर उपर्युक्त कार्य के प्रावधान एवं निष्पादन के लिए परामर्शदाता की बोली स्वीकार कर ली तथा करार की शर्तों एवं निबंधन के अध्यधीन गेल द्वारा अंतिम रूप से अनुमोदित कर दी है

अब करार में निम्न साक्षी है और इस पर एतद्वारा सहमत होते हुए निम्नानुसार घोषणा की जाती है

1. परामर्शदाता द्वारा निष्पादित कार्य के लिए उसे किए जाने वाले भुगतान पर विचार करते हुए परामर्शदाता गेल के साथ यह प्रितज्ञा करता है कि परामर्शदाता विधिवत यह कार्य प्रदान करेगा, निष्पादित करेगा तथा पूरा करेगा और उपर्युक्त कार्य को पूरा करने के लिए करार में उल्लिखित अथवा वर्णित अथवा पर्याप्त पर रूप आवश्यक अथवा प्रयोज्य अन्य कार्यों तथा चीजों को उपर्युक्त समयावधि और पद्धति से और करार में उल्लिखित शर्तों एवं निबंधनों अथवा नियमों के अध्यधीन करेगा तथा निष्पादित करेगा।

डिस्क्लेमर: अंग्रेजी और उसके हिंदी अनुवाद में किसी भी विसंगति के मामले में, व्याख्या और कानूनी पहलुओं के लिए, अंग्रेजी संस्करण मान्य होगा।
Disclaimer: In case of any discrepancy in English & its Hindi translation, for interpretation and legal aspects, the English version shall prevail.

2. उपर्युक्त कार्य के विधिवत प्रावधान, निष्पादन और संपूर्णता पर विचार करते हुए गेल एतद्द्वारा इस करार के साथ सहमत है कि गेल परामर्शदाता को इस एलओए मे विनिर्दिष्ट धनराशि के अनुसार परामर्शदाता द्वारा वास्तव में निष्पादित एवं गेल द्वारा अनुमोदित कार्य के लिए संबंद्ध धनराशि का भुगतान करेगा और ऐसे भुगतान इस करार और एलओए में यथा उपबंधित समय और पद्धति के अनुसार किया जाएगा।

3.

इसके साक्ष्य स्वरूप दोनों व क्षकोरा ने उपर्युक्त लिखित तारीख और वर्ष में इन करारों को निष्पादिरत किया है।

गेल की ओर से
तथा के लिए हस्ताक्षरित एवं प्रदत्त

मैसर्स ____________________
की ओर से तथा
के लिए हस्ताक्षरित एवं
प्रदत्त

____

____

दिनांक: _________________

दिनांक : _______________

स्थान: ________________

स्थान:________________

दो गवाहों की उपस्थिति में

1.
2.

1.
2.

डिस्क्लेमर: अंग्रेजी और उसके हिंदी अनुवाद में किसी भी विसंगति के मामले में, व्याख्या और कानूनी पहलुओं के लिए, अंग्रेजी संस्करण मान्य होगा।
Disclaimer: In case of any discrepancy in English & its Hindi translation, for interpretation and legal aspects, the English version shall prevail.

अनुलग्नक-ग

निष्पादन प्रतिभूति

(संविदा निष्पादन बैंक प्रतिभूति)

--बिना शर्त

(शुल्क अधिनियम के अनुसार स्टांप पेपर लगाया जाए)

संदर्भ

बैंक गारंटी सं:-

दिनांक:

सेवा में

गेल (इंडिया) लिमिटेड

____

____

____

प्रिय महोदय,

गेल (इंडिया) लिमिटेड, नई दिल्ली (भारत) (इसके उपरांत मालिक के रूप में उल्लिखित द्वारा जिसकी अभिव्यक्ति में, जब तक संदर्भ अथवा उसके अर्थ के अनुसार विपरीत न हो, उत्तराधिकारी, प्रशासक तथा भागीदार शामिल होंगे) मैसर्स ________________________, जिसका प्रधान कार्यालय ______________________ में स्थित है (इसके उपरांत परामर्शदाता के रूप में उल्लिखित, जिसकी अभिव्यक्ति में, जब तक संदर्भ अथवा उसके अ्था के अनुसार विपरीत न हो, उत्तराधिकारी, प्रशासक तथा भागीदार शामिल होंगे) को दिनांक ------------------- के गेल के आदेश सं.________________________ द्वारा __________________ कार्य जारी कर दिया गया है तथा ______________ के कार्य के लिए कुल ____________________मूल्य पर उपर्युक्त आदेश के अनुसार ____________________के लिए संविदा के रूप में परिणत परामर्शदाता द्वारा इसे स्वीकार कर लिया है तथा परामर्शदाता द्वारा मालिक को उपर्युक्त संविदा के निष्ठापूर्वक निष्पादन के लिए संविदा निष्पादन एवं वारंटी प्रतिभूति प्रदान करने हेतु सहमति वयक्त की गई है। हम ____________________ (बैंक), जिसका प्रधान कार्यालय _________________ में स्थित है (इसके उपरांत बैंक के रूप में उल्लिखित, जिसकी अभिव्यक्ति में, जब तक संदर्भ अथवा उसके अ्था के अनुसार विपरीत न हो, उत्तराधिकारी, प्रशासक तथा परेषिति शामिल होंगे)), एतद्द्वारा परामर्शदाता को संदर्भ दिए बगैर ______________ तक किसी भी समय उपर्युक्तानुसार संविदा मूल्य के 5 प्रतिशत (पांच प्रतिशत) की सीमा तक परामर्शतदाता द्वारा देय सारी और किसी भी धनराशि का मालिक द्वारा मांग करने पर भुगतान करने हेतु गांरटी देते हैं। मालिक द्वारा बैंक से की गई ऐसी भी मांग जब तक समावेशी और बाध्यकारी होगी और मालिक और परामर्शदाता के बीच जब तक मतभेद अथवा किसी न्यायालय, अधिकरण, मध्यस्थम अथवा अन्य किसी भी प्राधिकरण के समक्ष लंबित किसी भी विवाद की वजह से यह गारंटी समाप्त नहीं हो जाती है।

बैंक यह शपथ देता है कि वह मालिक पूर्वानुमति के बगैर गारंटी के जारी रहने के दौरान इसे रद्द नहीं करेगा और यह भी स्वीकार करता है कि इसमें निहित गारंटी मालिक द्वारा इसे समाप्त करने तक प्रवर्तित रहेगी। मालिक के पास इस गारंटी के अंतर्गत बैंक किसी भी देयता पर असर डाले बगैर समय-समय पर उपर्युक्त संविदा के परामर्शदाता द्वारा निष्पादन हेतु समय-सीमा को बढ़ाने की पूर्ण स्वतंत्रता होगी, मालिक के पास इस गांरटी पर असर डाले बगैर परामर्शदाता के खिलाफ मालिक में निहित किसी भी शक्ति का समय-समय पर अथवा उनमें निहित किसी भी अधिकार के प्रयोग को स्थगित करने और किसी भी तरीके से किसी भी समय प्रयोग करने और मालिक तथा परामर्शदाता के बीच उपर्युक्त संविदा में निहित

__डिस्क्लेमर__: अंग्रेजी और उसके हिंदी अनुवाद में किसी भी विसंगति के मामले में, व्याख्या और कानूनी पहलुओं के लिए, अंग्रेजी संस्करण मान्य होगा।
__**Disclaimer**__: In case of any discrepancy in English & its Hindi translation, for interpretation and legal aspects, the English version shall prevail.

अथवा प्रदर्शित किसी भी प्रसंविदा को प्रवर्तित करने अथवा मालिक के पास उपलब्ध किसी भी समाधान अथवा प्रतिभूति अथवा अन्य विकल्प प्रयोग करने की पूर्ण स्वतंत्रता होगी। मालिक द्वारा उपर्युक्त मामलों अथवा उनमें से किसी भी मामले के संदर्भ में अथवा मालिक की ओर से कोई भूल-चूक होने के कारण द्वारा अथवा अन्य कारणों द्वारा अथवा मालिक द्वारा प्रदर्शित किसी अन्य संलिप्ता अथवा विधि के अंतर्गत बैंक को नियुक्त करने वाले अथवा इस प्रावधान पर प्रभाव डालने वाले किसी अन्य मामले अथवा किसी भी चीज के संदर्भ में अपनी देयता का प्रयोग करने से बैंक इन प्रावधानों के अंतर्गत अपनी देयताओं से निर्मुक्त नहीं होगा।

बैंक यह भी स्वीकार करता है कि मालिक अपने विकल्प के अनुसार परामर्शदाता के खिफलाफ कार्रवाई किए बगैर मालिक के पास परामर्शदाता की देयताओं के संबंध में अन्य किसी भी प्रतिभूति अथवा अन्य गारंटी होने के बावजूद प्रथम दृष्टया मुख्य गण-ग्राही के रूप में बैंक की इस गारंटी को प्रवर्ति करने हेतु पात्र होगा।

उपर्युक्त में किसी भी चीज के होने के बावजूद इस गारंटी के अंतर्गत हमारी देयता ___________ तक सीमित तथा _____________ तक और सहित लागू रहेगी और इन्हें परामर्शदाता द्वारा यथोपेक्षित अवधि तक बढ़ाया जाएगा जिसके ओर से यह गारंटी दी गई है।

अत: हम एतद्द्वारा यह पुष्टि करते हैं कि हम _______________ (अंको में ______________________________) की कुल धनराशि तक परामर्शदाता की ओर से गारंटर हैं तथा आपके प्रति उत्तरदायी हैं तथा हम इस संविदा के अंतर्गत परामर्शदाता द्वारा चूककर्ता के रूप में घोषित किए जाने पर आपकी पहली लिखित मांग का उपर्युक्तानुसार सीमा के भीतर किसी भी राशि अथवा धनराशियों (गारंटी की धनराशि) का किसी भी प्रतिवाद अथवा तर्क के बगैर और विनिर्दिष्ट भाग अथवा धनराशि संबंधी आपकी मांग के लिए आधार अथवा कारण बताने अथवा सिद्ध करने की आवश्यकता के बगैर भुगतान करने की शपथ लेते हैं।

यह गारंटी दिनांक ___________ वर्ष 20_____तक वैद्य है।

हमें संगम ज्ञापन तथा संगम अनुच्छेद के अंतर्गत आपके पक्ष में यह गांरटी जारी करने की शक्ति है तथा अधोहस्ताक्षरी के पास भुहतारनामा/निदेशक मंडल के दिनांक ___________ के संकल्प के अंतर्गत ऐसा करने हेतु बैंक द्वारा उसे दी गई समस्त शक्तियां हैं।

साक्षी:
(हस्ताक्षर)

(नाम)
मुहर

(हस्ताक्षर)
बैंक की मुहर

(नाम)
'पदनाम, बैंक की मुहर
और मुखतारनामा निदेशक मंडल के संकल्प के अनुसार अटार्नी
दिनांक:

डिस्क्लेमर: अंग्रेजी और उसके हिंदी अनुवाद में किसी भी विसंगति के मामले में, व्याख्या और कानूनी पहलुओं के लिए, अंग्रेजी संस्करण मान्य होगा।
Disclaimer: In case of any discrepancy in English & its Hindi translation, for interpretation and legal aspects, the English version shall prevail.

अनुलग्नक-घ

समस्त शर्तों एवं निबंधन का संक्षिप्त सार

बोली दाता का नाम मैसर्स ________________________

निविदा दस्तावेज संख्या ________________________

अन्य संदर्भ ____________________________________

यह प्रशनावली विधिवत भरकर गैर-मूल्य वाली निविदा की प्रत्येक प्रति के साथ वापिस लौटा दी जानी चाहिए। इसके अंतर्गत पुष्ट खंडों को बोली में पुन: नहीं दोहराया जाना चाहिए।

क्र.सं.	विवरण	बोलीदाता द्वारा पुष्टि करना
1.	यह उल्लेखनीय है कि निविदा हस्तावेज में यथा विनिर्दिष्ट शर्तों और निबंधनों का पालन नहीं करने पर बोली निरस्त कर दी जाएगी।	
2.	यह सुनिश्चित और पक्का कर लें कि “दर अनुसूची” में उद्धृत दरें निविदा दस्तावेज में यथापरिभाषित कार्य क्षेत्र में पूर्ण हो।	
3.	यह सुनिश्चित और पक्का कर लें कि मूल्य इस संविदा के अंतर्गत यथा प्रयोज्य शुल्क, उप-शुल्क सहित हों जिसमें सर्वेक्षण करने, भारत में यात्रा करने, इसके कार्मिक द्वारा साइट का दौरा करने, भारत में ठहरने, रहने, खाने-पीने तथा परियोजना कार्य हेतु, अपेक्षित आकस्मिक व्यय संबंधी सभी लागतें हों।	
4.	यह पक्का कर लें कि बोली की देय तारीख/बोली खोलने की तारीख से बोली 4 माह तक स्वीकार्य हेतु वैद्य रहेगी।	
5.	बोली दाता का नाम और पता	
6.	यह पक्का कर लें कि उद्धृत मूल्य परियोजना पूरी होने तक नियत होगें।	
7.	कृपया यह पक्का कर लें कि उद्धृत दरें भारतीय रुपए/यूएस डालर/बोलीदाता की गृह मुद्रा में हो।	
8.	निविदा दस्तावेज में विनिर्दिष्ट अपेक्षा के अनुसार संपूर्णता अवधि की स्वीकार्यता की पुष्टि करें (आयकर की तारीख से परिकलित की जाएगी)	
9.	बोली के साथ जमा तकनीकी सामग्री/कैटेलॉग औरप्रयोक्ता संदर्भ को पूरा करने की पुष्टि करें।	

डिस्क्लेमर: अंग्रेजी और उसके हिंदी अनुवाद में किसी भी विसंगति के मामले में, व्याख्या और कानूनी पहलुओं के लिए, अंग्रेजी संस्करण मान्य होगा।
Disclaimer: In case of any discrepancy in English & its Hindi translation, for interpretation and legal aspects, the English version shall prevail.

10. निविदा दस्तावेज में यथाविनिर्दिष्ट संविदात्मक रूप से सम्मत संपूर्णता अनुसूची के बाद कार्य पूरा करने में होने वाले विलंब के लिए मूल्य कमी अनुसूची (पीआरएस) की स्वीकार्यता की पुष्टि करना।

11. यह पुष्टि करें कि संविदात्मक रूप से संपूर्णता तारीख के बाद कार्य में होने वाले विलंब के मामले में बीजक प्रत्येक चरण में पीआरएस की सीमा तक विधिवत घटाई धनराशि हेतु प्रस्तुत किया जाएगा।

12. यह पुष्टि करें कि संविदात्मक रूप से संपूर्णता तारीख के बाद कार्य में होने वाले विलंब के मामले में किसी भी नए अथवा अतिरिक्त कर और शुल्क को परामर्शदाता के खाते में डाला जाएगा।

13. निविदा दस्तावेज में यथाविनिर्दिष्ट भुगतान की संबद्ध शर्तों की स्वीकार्यता की पुष्टि करें [निविदा दस्तावेज में उल्लिखित भुगतान संबंधी शर्तें में बोलीदाता (बोलीदाताओं) को किए जाने वाले किसी भी अग्रिम भुगतान का प्रावधान नहीं है]

14. यह पुष्टि करें कि आदेश/संविदा मूल्य के 5 प्रतिशत तक संविदा निष्पादन बैंक गारंटी (सीपीबीजी) रूचि संबंधी फैक्स मिलने के 30 दिनों के भीतर प्रस्तुत की जाएगी जो निविदा दस्तावेज के अनुसार गारंटी/वारंटी अवधि की समाप्ति के बाद 3 माह तक वैद्य रहेगी।

15. निम्न में निहित शर्तों और निबंधनों की संपूर्णत: स्वीकार्यता की पुष्टि करें:
   (i) बोलीदाताओं को अनुदेश
   (ii) संविदा की सामान्य शर्तें (जीसीसी)।
   (iii) कार्य क्षेत्र एवं प्रदेय सामग्री
   (iv) निविदा दस्तावेज अन्य सभी वाणिज्यिक दस्तावेज/संलग्नक।

   (क) आरक्षण के माले में यह पुष्टि करें कि इस प्रपत्र के अनुलग्नकों के रूप खंड-वार टिप्पणियां विनिर्दिष्ट की गई हैं।

   (ख) इस प्रपत्र में सभी शर्तें और निबंधन दिए गए हैं (अनुलग्नक, यदि कोई हो, सहित) और निविदा में इन्हें कहीं और नहीं दोहराया गया है। यह उललेखनीय है कि किसी भी समयावधि और शर्त सहित कहीं भी अन्यग प्रदर्शित शर्तें एवं निबंधनों पर मालिक द्वारा विचार नहीं किया जाएगा।

डिस्क्लेमर: अंग्रेजी और उसके हिंदी अनुवाद में किसी भी विसंगति के मामले में, व्याख्या और कानूनी पहलुओं के लिए, अंग्रेजी संस्करण मान्य होगा।
Disclaimer: In case of any discrepancy in English & its Hindi translation, for interpretation and legal aspects, the English version shall prevail.

16. बोलीदाता से यह अपेक्षा की जाती है कि वह यह जाताए कि क्या बोलीदाता के निदेशकों में से कोई भी मालिक के किसी भी निदेशक का रिश्तेदार नहीं है और बोलीदाता एक ऐसी फर्म है जिसमें मालिक का काई भी निदेशक अथवा उसका रिश्तेदार एक साझेदार है अथवा बोलीदाता एक ऐसी निजी कंपनी है जिसमें मालिक का कोई निदेशक सदस्य अथवा निदेशक है।

17. सभी पत्राचार अंग्रेजी भाषा में ही किए जाने चाहिए।

18. आपने अपनी बोली के लिए जिससे प्रश्न पूछा है उसका नाम व संपर्क नं. (टेलीफोन/फैक्स नं.)

19. मालिक के पास निविदा दस्तावेज की शर्तों एवं निबंधनों में कोई भी परिवर्तन करने और विलंब से या अधूरी निविदाओं सहित किसी भी अथवा सभी बोलियों को निरस्त करने का अधिकार है।

20. यह पुष्टि करें कि बोलीदाता के बैंक से संबद्ध सभी बैंक प्रभारों का वहन बोलीदाता द्वारा किया जाएगा।

बोलीदाता यह पुष्टि करता है कि विभिन्न स्थानों पर विभिन्न शर्तों एवं निबंधनों में मतभेद होन पर उपर्युक्त पुष्टि को अभिभावी और अंतिम माना जाएगा तथा अन्यत्र प्रदर्शित किसी भी परिवर्तन को अतिरेक माना जाएगा।

हस्ताक्षर ____________________

नाम ________________________

पदनाम ______________________

कार्यालय की मुहर __________________

टेलीफोन नं. _____________________

फैक्स नं. _____________________

डिस्क्लेमर: अंग्रेजी और उसके हिंदी अनुवाद में किसी भी विसंगति के मामले में, व्याख्या और कानूनी पहलुओं के लिए, अंग्रेजी संस्करण मान्य होगा।
Disclaimer: In case of any discrepancy in English & its Hindi translation, for interpretation and legal aspects, the English version shall prevail.

अनुलग्नक – ड.

निविदा खोलने में उपस्थित होने/करार में हस्ताक्षर करने के लिए प्राधिकार पत्र का प्रपत्र

सं. 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　दिनांक:

गेल (इंडिया) लिमिटेड

____

____

____

ध्यानार्थ:
विषय: 　निविदा सं.

प्रिय महोदय,

हम ________________ एतद्द्वारा पुष्टि करते हैं कि श्री (नाम और पता) ______________________ आपकी उपर्युक्त निविदा में ____ के लिए हमारी ओर से निविदा खोलने और करार पर हस्ताक्षर करने हेतु हमारा प्रतिनिधित्व करने हेतु प्राधिकृत है/हैं।

हम पुष्टि करते हैं कि हामारा प्रतिनिधि जो कुछ भी प्रतिबद्धता करेगा वह हम सब के लिए बाध्यकारी होगी।

भवदीय

हस्ताक्षर

नाम और पता
कृते बोलीदाता एवं
उसकी ओर से

टिप्पणी:

यह प्राधिकार पत्र बोलीदाता के लेटरहैड पर होना चाहिए और इस पर सक्षमा तथा पावर ऑफ अटार्नी धारक व्यक्ति के हस्ताक्षर होने चाहिए (पावर ऑफ अटार्नी संलग्न होनी चाहिए)।

डिस्क्लेमर: अंग्रेजी और उसके हिंदी अनुवाद में किसी भी विसंगति के मामले में, व्याख्या और कानूनी पहलुओं के लिए, अंग्रेजी संस्करण मान्य होगा।
Disclaimer: In case of any discrepancy in English & its Hindi translation, for interpretation and legal aspects, the English version shall prevail.

अनुलग्नक-च

बोलीदाता का अनुभव

क्र.सं.	इस प्रकार के कार्य में अनुभव	कंपनी का नाम	संपर्क नंबर और वर्ष	मूल्य

हस्ताक्षर ___________________

नाम ______________________

पदनाम ___________________

कार्यालय मुहर __________________

डिस्क्लेमर: अंग्रेजी और उसके हिंदी अनुवाद में किसी भी विसंगति के मामले में, व्याख्या और कानूनी पहलुओं के लिए, अंग्रेजी संस्करण मान्य होगा।
Disclaimer: In case of any discrepancy in English & its Hindi translation, for interpretation and legal aspects, the English version shall prevail.

अनुलग्नक – छ

दावा त्याग

बोलीकर्ता यह सुनिश्चित करेगा कि निविदा इस्तावेज पूरी तरह् से भरा हो। यदि निविदा दस्तावेज का कोई भाग कटा-फटा या गुम है तो बोलीदाता इसकी सूचना तत्काल गेल को निम्नलिखित पते पर देगा:

गेल (इंडिया) लिमिटेड

____

____

____

ध्यानार्थ: _________________

टेलीफोन _________________

फैक्स ____________________

यदि ऐसे लिखित नोटिस बोलीदाता को निविदा दस्तावेज जारी होने की तारीख से सता (7) दिनें के भीतर उपर्युक्त कार्यालय में प्राप्त नहीं होते तो बोलीदाता द्वारा प्राप्त निविदा दस्तावेज को पूरी तरह पूर्ण माना जाएगा। इस आधार पर किसी भी बोलीदाता को अपनी बोली जमा करवाने के लिए किसी भी स्थिति में समय विस्तार नहीं दिया जाएगा कि उसे निविदा दस्तावेज का पूरा सेट नहीं मिला।

गेल, प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से निविदा दस्तावेज में निहित सूचना की परिशुद्धता, सत्यता और पूर्णता के संबंध में कोई वांरटी अथवा अभ्यावेदन नहीं करता है।

डिस्क्लेमर: अंग्रेजी और उसके हिंदी अनुवाद में किसी भी विसंगति के मामले में, व्याख्या और कानूनी पहलुओं के लिए, अंग्रेजी संस्करण मान्य होगा।
Disclaimer: In case of any discrepancy in English & its Hindi translation, for interpretation and legal aspects, the English version shall prevail.